

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2023—फाल्गुन 19, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2023

क्र. एफ 1-98-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 10 से 19 अप्रैल 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-9 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में डेल्टा, एमस्टरडेम, नीदरलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, शिकायत, पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर नहीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

1427

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1/2 मार्च 2023

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2023

फा. क्र. 734-इक्कीस-ब(एक)2023.—अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति की सहमति से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को, कॉलम (2) में उल्लेखित जिले के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	जिले का नाम	सेशन न्यायालय
(1)	(2)	(3)
"1.	अनूपपुर	श्री सिकंदर सिंह परमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर."

F. No. 734-XXI-B (1)-2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge mentioned in column (3), as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the table given below to try the offences under the said Act, namely:—

TABLE

S. No.	Name of District	Sessions Court
(1)	(2)	(3)
"1.	Anuppur	Shri Sikandar Singh Parmar, Principal District and Sessions Judge, Anuppur."

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2023

संशोधित अधिसूचना

फा. क्र. 735-इक्कीस-ब(एक)2023.—राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2023 में अंग्रेजी कॉलम में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

TABLE

S. No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
44.	Mandleshwar	Shri Bhagwandas Rathore, II nd District and Additional Sessions Judge, Mandleshwar"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2023

पंजी क्र. 867-2023-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, एतद्वारा, तहसील बीना, जिला सागर में विभागीय आदेश दिनांक 7 जुलाई 1992 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री संतोष जैन का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेंद्र भारद्वाज, अपर सचिव.

फा. क्र. 994-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ इन्दौर में विचाराधीन विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरण, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध प्रकरणों में संगठन की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री राघवेंद्र सिंह रघुवंशी, अधिवक्ता, इन्दौर के कार्यकाल में दिनांक 25 जनवरी 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है.

फा. क्र. 995-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में विचाराधीन विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में संगठन की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री अभिजीत अवस्थी, अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 6 फरवरी 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2023

File No. AGR-1-0012-2023-FERTI-FWAD (Com. No:192573.—उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) आदेश, 1985 के खण्ड 28 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) अंकित अधिकारियों को जिन्हें उनके सामने दशाए गए क्षेत्र पर अधिकारिता होगी, उर्वरक नमूनों को अभिरक्षा में रखने के लिए और दूसरे भाग को राष्ट्रीय जांच गृह में विश्लेषण के लिए तथा तीसरे भाग को रेफरी विश्लेषण के लिए भेजने के लिए, अभिरक्षक अधिकारी नियुक्त करती है:—

अनु. क्र.	अधिकारी का पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	अपना-अपना संभाग

File No. AGR-1-0012-2023-FERTI-FWAD (Com. No:192573.—In exercise of the powers conferred by clause 28A of the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed Control) Order, 1985 and in suppression of all previous Notification issued in this behalf, the State Government hereby appoints the following officers as a Custodian officer for keeping the sample in its custody and for sending the second part for analysis to National Test House and the third part for referee analysis:—

S. No.	Post Name of Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Divisional Joint Director, Farmer Welfare and Agriculture Development.	Respective Division

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण भटनागर, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्रमांक-यूडीएच/3/0037/2022/18-5 :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-5113/टीसी/76/भोपाल/उपां/नग्रानि/2021-22दिनांक,07/12/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग	उपांतरण पश्चात प्रस्तावित भू उपयोग
			कुल रकबा	आवेदित रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1	हज्जाम	1	0.320	0.320	0.320	कृषि	औद्योगिक
2	पुरा तह.	2	1.060	1.060	1.060	कृषि	औद्योगिक
3	हुजूर	3	0.930	0.930	0.00	कृषि	कृषि
4	जिला	4	0.640	0.640	0.00	कृषि	कृषि
5	भोपाल	5	36.140	29.460	24.420	कृषि	औद्योगिक
6		19	9.190	9.190	4.060	कृषि	औद्योगिक तथा मार्ग
7		40/1	7.380	1.350	1.350	कृषि	औद्योगिक तथा मार्ग
			55.660	42.950	31.210 (हेक्ट)		

शर्तें:-

- उपांतरण हेतु आवेदित भूमि रकबा 42.950 हेक्टेयर भूमि में से रकबा 31.210 हेक्टेयर भूमि का औद्योगिक उपांतरण किया जाना प्रस्तावित है तथा शेष भूमि रकबा 11.740 हेक्टेयर भूमि तालाब से लगकर होने के कारण यह भूमि पर वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रहेगी ।
- स्थल के दक्षिण दिशा में स्थित विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 60.00 मीटर रखी जाना आवश्यक होगा ।
- स्थल पर अवस्थित नालों के दोनों किनारों से 9.00-9.00 मीटर भूमि वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखी जाना आवश्यक होगा ।
- स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी
- उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2023

क्रमांक/ 481 /आर-1110565/2023/10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 22°13'0.96" से 21°13'17.65" उत्तर अक्षांश तथा 78°54'44.02" से 78°55'0.39" पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला— छिन्दवाड़ा

वनमण्डल — पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल

तहसील — परासिया

वन परिक्षेत्र — परासिया

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएँ
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टर)	
1	सिरगोरी कलां (सिए)	सिरगोरी कलां	शासकीय भूमि	1/1	11.404	उत्तर— मुनारा क्र. 10 से मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा। पूर्व — मुनारा क्र. 14 से मुनारा क्रमांक 32 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण— मुनारा क्र. 32 से मुनारा क्रमांक 2 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम— मुनारा क्र. 2 से मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।
				योग	11.404	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-45/2017-FC दिनांक 02 जनवरी, 2018 से अधिरोपित शर्त के अनुसार वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कन्हान क्षेत्र डुंगरिया की परियोजना धनकशा भूमिगत कोयला खदान में प्रभावित 4.825 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 11.404 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से वन विभाग के पक्ष कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 001/अ-19(4)/2022-23 दिनांक 27.09.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है।

2. अन्य कारणों का विवरण :- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2023

क्र. 482-आर-1110565-2023-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 482-आर-1110565-2023-दस-3, दिनांक 27 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th February 2023

No./ 482 /R-1110565/2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest block lies between 22°13'0.96" to 22°13'17.65" North Latitude and 78°54'44.02" to 78°55'0.39" East Longitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara

Forest Division - West division chhindwara

Tahsil - Parasia

Forest Range - Parasia

S. No	Details of Land Included					Forest Block Bouderies
	Name of the Forest Block.	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (Hectare)	
1	Sirgori Kalan (CA)	Sirgori Kalan	Government Land	1/1	11.404	North - Artificial Forest boundary from pillar Number 10 to pillar no.14 East - Artificial Forest boundary from pillar Number 14 to Pillar No. 32. South - Artificial Forest boundary from pillar Number 32 to Pillar No. 2. West - Artificial Forest boundary from pillar Number 2 to Pillar No. 10.
				Total	11.404	

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with condition no. 9 laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Govt. of India's order No. F.No.8-45/2017-FC dated 02 January, 2018 and in lieu of 4.825 hectare of forest land affected in Dhankasha underground coal mine of Wester Coal Field limited Pench area Parasia, the above mentioned revenue land of 11.404 hectare transferred or mutated in favour of Forest Department by order No. 001/A-19(4)/2022-23 dated 27-09-2022 of Collector District Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons. - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report of Tehsildar Parasia district Chhindwara are as under.

1. Individual Rights :- There are no individual rights on the said land.

2. Community Rights :- There are no community rights on the said land.

Therefore, the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR, Addl. Secy.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2023

संशोधित अधिसूचना

क्र. 423-एफ 1 (ए) 06-2016-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 (2-ए) (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ के सदस्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है :-

क्रमांक	न्यायिक अधिकारी का नाम	औद्योगिक न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश
(1)	(2)	(3)
1	श्री किशोर कुमार मिश्रा	सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, खण्डपीठ, रीवा (म. प्र.)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

क्रमांक एफ 15-08/2022/सात-7 -भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ) के प्रावधानों के अंतर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (7) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित पूर्व वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक (5) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निवर्तन कर म.प्र.शासन राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है।

अतः राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक-20 सन् 1959) की धारा-2 की उपधारा (1) खण्ड (य-5) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित हस्तांतरित वन ग्राम को कॉलम क्रमांक(4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करता है।

अनुसूची

जिला - नर्मदापुरम

क्र.	पूर्व वनग्राम का नाम	वन विभाग से प्राप्त क्षेत्रफल (हे.मे)	नवीन राजस्व ग्राम का नाम	वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाये गये ग्रामों से लगी सीमाएं	वन परीक्षेत्र	वन भूमि का राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी म.प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रतिबंदर (तहसील इटारसी)	160.000	नया रतिबंदर	उत्तर चौकीपुरा, दक्षिण-सिलवारी, पूर्व-भाडभूड, पश्चिम-बलचापड़ा	कास्ता	म.प्र.शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15-11/2021-दस-2 दिनांक 21/09/2021
2.	रतिबंदर (टौला) तहसील इटारसी	12.000	नया रतिबंदर (टौला)	उत्तर चौकीपुरा, दक्षिण-सांकई, पूर्व-एन.एच. 69,, पश्चिम-भाडभूड, केवल 06 लोगों को भूमि दी है।	कास्ता	म.प्र.शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15-11/2021-दस-2 दिनांक 01/12/2021
3.	सांकई भाग (तहसील इटारसी)	40.000	नया सांकई भाग-1	उत्तर भाडभूड, दक्षिण-मल्लपुरा, पूर्व-कास्ता-एन.एच.69, पश्चिम-कालाआखर	कास्ता	म.प्र.शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15-11/2021-दस-2 दिनांक 21/09/2021
4.	मालनी भाग-4 (तहसील इटारसी)	98.000	नया मालनी भाग-4	उत्तर-बांदरी, दक्षिण-मलोथर, पूर्व-पारछा, पश्चिम-बांदरी	बादरी	म.प्र.शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15-11/2021-दस-2 दिनांक 16/09/2021
5.	बदकछार (तहसील बाबई)	200.000	नया बदकछार	उत्तर-रोरीघाट, दक्षिण-जंगलसरकार, पूर्व-चूरना, पश्चिम-परसापारी	सोहागपुर सामान्य	म.प्र.शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15-17/2021-दस-2 दिनांक 29/10/2021
6.	मल्लपुरा भाग-4 (तहसील सिवनी-मालवा)	29.034	नया मल्लपुरा भाग-4	उत्तर- दाबा कला, दक्षिण- बड़ी नहर/भडम चिकली, पूर्व ग्राम मलोथर/बड़ी नहर, पश्चिम-हतेड नदी	मकोडिया	म.प्र.शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15-17/2021-दस-2 दिनांक 01/12/2021
7.	खामदा भाग-2(तहसील इटारसी)	14.232	नया खामदा भाग-2	उत्तर अमाडा, दक्षिण- महेन्द्रवाडी, पूर्व अमाडा, पश्चिम- महेन्द्रवाडी	अमाडा	म.प्र.शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15-11/2021-दस-2 दिनांक 01/12/2021

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रायकवार, अवर सचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-505-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) खैरा	(4) 0.093	उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना, जिला सतना (मध्यप्रदेश).	ललितपुर-सतना-रीवा- सिंगरौली-महोबा-खजुराहो- (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 23 जनवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-67-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1) सतना	(2) मैहर	(3) चटकौला	(4) 1.076	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक-1 कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 27 जनवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-68-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	वरौह	1.587	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक-1 कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-69-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	नौगवांकाप	2.230	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक-1 कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-70-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बंधी	5.645	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक-1 कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-71-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	घोरवाई	10.346	कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक-1 कटनी (मध्यप्रदेश).	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 30 जनवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23-पत्र क्र.-75-भू-अर्जन-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
सतना	नागौद	बिकरा	3.923	उप मुख्य अभियंता (निर्माण II), पश्चिम मध्य रेलवे, सतना, (मध्यप्रदेश).	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो-(541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 6 फरवरी 2023

प्र. क्र. 03-अ-82-2021-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013)” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
छतरपुर	छतरपुर	दिदौल	0.955	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर.	धसान नदी के पचेर घाट पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 7 फरवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposals, दिनांक 7 अक्टूबर 2022, कलेक्टर महोदया, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposal, दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम अमुल्याखुर्द, पटवारी हल्का नं. 45, तह. नेपानगर की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 2.826 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :-

स. क्र.	जिला	तहसील	प. ह. नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर	नेपानगर	45	अमुल्याखुर्द	2.826	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान-परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposals, दिनांक 7 अक्टूबर 2022 कलेक्टर महोदया, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposal, दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम तुकईथड़, पटवारी हल्का नं. 34, तह. खकनार की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 2.167 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :-

स. क्र.	जिला	तहसील	प. ह. नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर	खकनार	34	तुकईथड़	2.167	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान-परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposals, दिनांक 7 अक्टूबर 2022 कलेक्टर महोदया, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposal, दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम मेलचुका, पटवारी हल्का नं. 35, तह. खकनार की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.426 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :—

स. क्र.	जिला	तहसील	प. ह. नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर	खकनार	35	मेलचुका	1.426	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान-परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposals, दिनांक 7 अक्टूबर 2022 कलेक्टर महोदया, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposal, दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम चिड़ियामाल, पटवारी हल्का नं. 33, तह. खकनार की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 1.407 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :—

स. क्र.	जिला	तहसील	प. ह. नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर	खकनार	33	चिड़ियामाल	1.407	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान-परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट.—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.— उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposals, दिनांक 7 अक्टूबर 2022 कलेक्टर महोदया, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE-C-AK-AMX-AOT-LA-Proposal, दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम दसघाट, पटवारी हल्का नं. 32, तह. खकनार की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.570 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निर्माकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :-

स. क्र.	जिला	तहसील	प. ह. नं.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर	खकनार	32	दसघाट	0.570	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान-परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

नोट.— उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भव्या मित्तल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 13 फरवरी 2023

क्र. 6-अ-82-21-22-भू-अर्जन-1528.— चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि/परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल (म. प्र.)	प्रभातपट्टन	बोरगाँव	खसरा नं. 124/9 पर स्थित एक मकान.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला बैतूल (म. प्र.).	पारसडोह जलाशय के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन.

(2) चूंकि, पारसडोह जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश, समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है.
(4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 25 जनवरी 2023

प्र. क्र. 03-अ-82-22-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 हेतु प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुधनी	बम्होरी	0.064	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. बुधनी.	बम्होरी सोमलवाडा मार्ग निर्माण.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस की अवधि के भीतर कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 17 फरवरी 2023

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 21-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	बचहा	10.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	सेरीमार जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 22-अ-82-2022-23-1153.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	चितरांव	6.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	सेरीमार जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 23-अ-82-2022-23-1158.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	नौदिया	0.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	सेरीमार जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 24-अ-82-2022-23-1154.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	करूआ	2.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	उल्टीधार जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 25-अ-82-2022-23-1156.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	चकौड़िया	20.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	कुडेली जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 26-अ-82-2022-23-1159.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जैतपुर	खैरहनी	4.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	मोहतरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 27-अ-82-2022-23-1155.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	गोहपारू	कठौतिया	45.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).	जलहली नाला जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 28-अ-82-2022-23-1300.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	सेरीमार	16.000	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (म. प्र.).	सेरीमार जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 7 फरवरी 2023

क्र. भू-अर्जन-2023-321-रा. प्र. क्र. 0002-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में वर्णित भूमि में, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन
(क) जिला उज्जैन
(ग) कस्बा उज्जैन
- (ख) तहसील उज्जैन
(घ) अर्जित रकबा 2.1110 हेक्टर

क्र.	सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हेक्ट. में)	अधिग्रहित रकबा हेक्टर में	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2602/मिन-1	0.2300	0.2300	-
2.	2602/मिन-2	0.8360	0.8360	-
3.	2602/मिन-3	0.2090	0.2090	-
4.	2602/मिन-4	0.2090	0.2090	-
5.	2602/मिन-5	0.2090	0.2090	-
6.	2602/मिन-6	0.2090	0.2090	-
7.	2602/मिन-7	0.2090	0.2090	-

कुल अधिग्रहित रकबा : 2.1110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में नृसिंहघाट मार्ग से कर्कटेश्वर महादेव मंदिर के मध्य पार्किंग निर्माण के लिए हेतु भूमि अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 7 फरवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013'' की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	खकनार	तुकईथड़	2.167	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013'' की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	खकनार	मेलचुका	1.426	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013'' की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	खकनार	दसघाट	0.570	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013'' की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	नेपानगर	अमुल्याखुर्द	2.826	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013" की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
बुरहानपुर	खकनार	चिड़ियामाल	1.407	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.	अकोला-खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) कार्य.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भव्या मित्तल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 1 मार्च 2023

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 32-अ-82-2022-23-1360.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का विवरण				अनुसूची	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शहडोल	जयसिंहनगर	टेटका	1.772	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. शहडोल (म. प्र.).	राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ, चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि. मी. से 111.50 कि. मी. तक डिजाईन की लम्बाई 90 कि. मी.)	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल (म. प्र.)/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर जिला शहडोल (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ-82-2022-23-1361.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	जगमल	0.669	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., शहडोल (म. प्र.).	राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि. मी. से 111.50 कि. मी. तक डिजाईन की लम्बाई 90 कि. मी.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल (म. प्र.)/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी जिला शहडोल (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ-82-2022-23-1362.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	भमरहा द्वितीय	0.880	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., शहडोल (म. प्र.).	राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि. मी. से 111.50 कि. मी. तक डिजाईन की लम्बाई 90 कि. मी.)

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल (म. प्र.)/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी जिला शहडोल (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 31-अ-82-2022-23-1363.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	करकी	1.190	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., शहडोल (म. प्र.).	राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 किमी और आरंभ 40.45 कि. मी. से 111.50 कि. मी. तक डिजाईन की लम्बाई 90 कि. मी.).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल (म. प्र.)/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2023

क्रमांक एफ 01-08-2022-सात-शा-7.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) धारा 13 की उपधारा (3) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा जिला मंदसौर की तहसील भानपुर की सीमायें, तहसील भानपुरा के ग्राम सुरजना, खेरखेड़ा-भाटा, जाल्या एवं बम्बोरी खुर्द को अपवर्जित करते हुये परिवर्तित करती है तथा सुरजना, खेरखेड़ा, -भाटा, जाल्या एवं बम्बोरी खुर्द को तहसील गरोठ में समाविष्ट करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक-2418-भू-अर्जन-2023

धार, दिनांक 3 मार्च 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1. भूमि का वर्णन -

(क) जिला - धार

(ख) तहसील - पीथमपुर

(ग) ग्राम - जामोदी

(घ) अर्जित रकबा - 63.581 हैक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में
17/4	0.010	152/2/2	0.012	138/2/3	0.174
17/3/1	0.675	151/2/2	0.105	134/1/2/2	0.029
42/1	0.240	45/1/1/1	0.035	124/2/2	0.060
17/2/2	0.105	151/2/1	0.104	117/2/2/3	0.047
17/1/1	0.800	152/2/1	0.012	138/2/2	0.174
134/3/1	0.250	43/2	0.115	134/1/2/1	0.029
12	0.240	130	0.324	124/2/1	0.060
5/3	1.090	43/1	0.115	122/2/1	0.042
5/1	1.080	149	0.261	138/2/1	0.174
18/1	0.342	41/1	0.167	134/1/1	0.115
16/1	0.329	42/2	0.167	133	0.826
16/2	0.329	40	0.397	132/4	0.216
3/3	0.687	39/2	0.094	146/1/2	0.187
15/2/2	0.182	39/1	0.491	132/3	0.216
15/2/1	0.183	38/2	0.512	146/1/1	0.187
15/1	0.732	117/1	0.314	132/2	0.264
14/3	0.700	117/2/1/1	0.039	120/1/1	0.139
14/2/2	0.350	117/2/4/2	0.013	132/1	0.265
38/1/2	0.128	38/1/4	0.128	120/1/2	0.139
38/1/1	0.128	134/1/2/4	0.028	131/1	0.499
134/2/2	0.455	124/2/3	0.060	128/2	0.063
14/1	0.700	122/2/4	0.041	128/1/3	0.062
14/2/1	0.350	119/2/3/1	0.073	128/1/1	0.063
134/2/1	0.455	119/1/1/2	0.036	128/1/2	0.063
13/2	0.063	117/2/4/1	0.064	126	0.042
120/2/2	0.128	138/2/4	0.173	124/1	0.241
13/1	0.062	38/1/3	0.128	122/1	0.167
120/2/1	0.127	37/3	0.428	119/2/1	0.200
11/2	0.314	37/2	0.534	119/2/2	0.200

11/1	0.313	131/2	0.382	119/1/1/1	0.036
10	2.707	154/1/1	0.090	123/1	0.718
144/1	0.410	37/1	0.328	122/2/2	0.042
9/2/2	0.520	131/3	0.404	119/2/4/2	0.109
9/1/2/2/2	0.347	36/1/2	0.267	119/2/3/2	0.109
9/2/1	0.264	36/2	1.035	117/2/1/2	0.032
9/1/2/1	0.019	36/1/1/2	0.155	117/2/2/2	0.019
9/1/1	0.209	125/2	0.324	117/2/3/1	0.026
9/1/2/2/1	0.209	140/2	0.130	119/1/2	0.265
8/3	0.170	36/1/1/1	0.957	119/3	0.462
3/1/3	0.458	125/1	0.324	118/2/4	0.010
8/2	0.171	140/1	0.131	118/2/3	0.693
3/1/2	0.458	34	1.348	136/2	1.390
8/1	0.171	147/2	0.080	118/2/2	0.694
3/1/1	0.458	143/1	0.113	136/1	1.390
7	1.118	30	2.508	118/2/1	0.693
153	0.251	127	0.324	136/3	1.391
4	0.543	29	1.547	118/1/1	0.723
5/2/1	0.662	28	1.912	114/2/1	0.070
6	0.596	116	1.014	160/2/1	0.085
5/2/2	0.418	27/2/1	0.405	115/2/1	0.152
3/2	0.687	27/1/1	0.440	154/1/2	0.105
46/1	0.080	148/2	0.183	152/1	0.025
26/1/2	0.011	137	0.554	151/1	0.209
35/2	0.350	134/4	0.230	150	0.470
129/2	0.120	134/3/2	0.105	145/2	0.194
121/2	0.308	134/3/3	0.105	148/1	0.183
26/1/1	0.011	123/2	2.156	147/1	0.192
35/1	0.350	134/1/2/3	0.029	138/1/1	0.549
129/1	0.120	124/2/4	0.060	138/1/2	0.085
121/1	0.309	122/2/3	0.042	138/1/3	0.061
45/1/2	0.055	119/2/4/1	0.091	143/2	0.190
152/3	0.024	119/2/3/3	0.018	114/1/1	0.055
151/3	0.209	117/2/2/1	0.013	योग -	63.581
45/1/1/2	0.045	117/2/3/2	0.052		

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर परियोजना की स्थापना "बाबद।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पीथमपुर तथा कार्यकारी संचालक म.प्र. औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-2424-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1. भूमि का वर्णन -

(क) जिला - धार

(ख) तहसील - पीथमपुर

(ग) ग्राम - खेड़ा

(घ) अर्जित रकबा - 23.397 हैक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में
921	0.460	925/2/2 पैकी	0.430
920	0.909	772/1/2 पैकी	0.681
591/2 पैकी	0.160	771/2 पैकी	0.040
585/2/2 पैकी	0.020	772/2/2 पैकी	0.814
592/2 पैकी	0.060	320/2 पैकी	0.041
589/2/2 पैकी	0.065	323/2 पैकी	0.600
600 पैकी	0.030	372/2 पैकी	0.120
922/2	0.711	379/2/3/1 पैकी	0.048
922/1	0.710	367/2/2 पैकी	0.090
923/1	0.627	379/2/2/2/2 पैकी	0.040
923/2	0.627	324 / 2 पैकी	0.008
367/1/1 पैकी	0.006	379/2/1/2 पैकी	0.040
379/1/1/2 पैकी	0.105	324/1 पैकी	0.022
924/2	0.899	379/1/2 पैकी	0.105
924/1	0.616	375/2	0.183
585/1/2 पैकी	0.040	769/2	0.110
818	1.181	588/1/2 पैकी	0.022
817/1	0.523	925/1/2 पैकी	0.431
817/2	0.522	538/2 पैकी	0.085
536	0.063	719/1/2 पैकी	0.050
804/2/2/2	0.242	718/4/2 पैकी	0.060
804/2/2/1	0.117	718/2/1/2	0.090
804/1	0.627	718/2/2/2	0.090
804/2/1	0.080	718 / 1 पैकी	0.120
802/1	0.029	718/3/2 पैकी	0.075
802/2	0.107	736/2 पैकी	0.045
803/1	0.284	737/2/2 पैकी	0.030
795/1/1	0.020	737/1/2 पैकी	0.055
795/1/2	0.094	770/1/2 पैकी	0.060
803/2	0.285	770/2/2 पैकी	0.300
801/1/2 पैकी	0.441	770/3/1/2 पैकी	0.060

733/1/2 पैकी	0.063	770/3/2/2	0.060
801/3	0.324	726 पैकी	0.045
801/2/2	0.990	599/1 पैकी	0.080
733/2/2 पैकी	0.065	534/2	0.030
800	1.087	527 / 1 पैकी	0.025
591 / 1 पैकी	0.020	537 पैकी	0.032
799/3	0.172	535/2	0.040
798	0.909	535/3	0.007
799/2	0.345	364/1 पैकी	0.130
799/1	0.345	599/2 पैकी	0.085
797	0.627	364/2 पैकी	0.060
793/2/2	0.055	601 पैकी	0.060
796/2/2 पैकी	0.180	358 पैकी	0.050
796/1/2 पैकी	0.170	362/2	0.051
793/3/2	0.682	926/2 पैकी	0.270
793/1	0.155	803/4	0.285
588/2/2 पैकी	0.009	803/3	0.284
		कुल योग-	23.397

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर परियोजना की स्थापना "बाबद।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पीथमपुर तथा कार्यकारी संचालक म.प्र. औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-2422-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता क अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1. भूमि का वर्णन -

(क) जिला - धार

(ख) तहसील - पीथमपुर

(ग) ग्राम - अकोलिया

(घ) अर्जित रकबा - 0.190 हैक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में
204 / 1 / 1	0.190

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर परियोजना की स्थापना "बाबद।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पीथमपुर तथा कार्यकारी संचालक म.प्र. औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-2420-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1. भूमि का वर्णन -

(क) जिला - धार
(ग) ग्राम - सागौर

(ख) तहसील - पीथमपुर
(घ) अर्जित रकबा - 3.000 हैक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में
225/1 पैकी	0.315	248/1 पैकी	0.293
226/1 पैकी	0.042	251/1 पैकी	0.017
228/1 पैकी	0.291	313/4 पैकी	0.021
229/1 पैकी	0.332	316/1/1 पैकी	0.115
230/1 पैकी	0.244	316/1/2 पैकी	0.115
231/1/1 पैकी	0.114	316/1/3 पैकी	0.029
231/2/1 पैकी	0.114	316/1/4 पैकी	0.086
240/2/1 पैकी	0.086	316/1/5 पैकी	0.076
240/2/2/1 पैकी	0.152	387/1 पैकी	0.010
239/1 पैकी	0.148	कुल योग	3.000

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर परियोजना की स्थापना "बाबद।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पीथमपुर तथा कार्यकारी संचालक म.प्र. औद्योगिक विकास निगम क्षेत्रीयकार्यालय इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन ग्रामीण

क्र. री. 1-2023-828

उज्जैन, दिनांक 6 मार्च 2023

प्रारूप 'घ'
(नियम-6 के अंतर्गत)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमि पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा (3) उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी के अधिसूचना पत्र क्रमांक 58 रिडर 1/2023 उज्जैन दिनांक 04.01.2023 राज्य सरकार ने नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजन ग्राम किठोदाराव तहसील उज्जैन जिला उज्जैन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है संलग्न अधिसूचना बिना विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम अधिकारी तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत व संबंधित ग्राम के लोग समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी/अधिभोगी को दे दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (1) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

/अनुसूची/

क्र.	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	आर.ओ.यू. (फसल)	प्रभावित क्षेत्र पाईप	सिंचित/असिंचित
01.	जुवानसिंह पुत्र अजबसिंह	172	1.4300	0.2350	0.0263	सिंचित
02	माधवसिंह पुत्र मानसिंह	180	0.0600	0.2400	0.0268	सिंचित
03	सौदासिंह पिता प्रतापसिंह	181	0.7100	0.2225	0.0249	सिंचित
04	गोपाल पिता शिवनारायण पाटीदर	184	0.7000	0.2425	0.0271	सिंचित
05	केसरसिंह/प्रतापसिंह	354	1.5700	0.450	0.0509	सिंचित
06.	गणपत/चुन्नीलाल	353	1.5500	0.1225	0.0138	सिंचित
07.	दिलीप पिता प्रेमसिंह	361/2	0.8800	0.2600	0.0292	सिंचित
08.	रेणुका कुंवर पति लोकेन्द्रसिंह	361/1	0.8800	0.1875	0.0210	सिंचित
09	सौरमबाई पति सत्यनारायण	362	1.1400	0.0150	0.0016	सिंचित

10.	शिवमलसिंह पिता रामसिंह	363	1.1100	0.2000	0.0224	सिंचित
	मदनलाल पिता देवाजी	364	1.1000	0.0975	0.0109	सिंचित
12.	चंदर पिता रणजीत	374/1	0.8500	0.1750	0.0196	सिंचित
13.	चंदर पिता रणजीत	374/2	0.400	0.0500	0.0056	सिंचित
14.	अमृतलाल पिता पूनमचंद	376/2	1.8200	0.0250	0.0028	सिंचित
15.	राहुल पिता भगवानसिंह	373	0.9700	0.2500	0.0280	सिंचित
16.	काशीराम पिता जगन्नाथ	372	0.9600	0.2375	0.0266	सिंचित
17.	मोहनलाल पिता दौलाजी	371	2.1500	0.0100	0.0011	सिंचित
18.	शासकीय नाला	377	1.5500	0.0075	0.0008	सिंचित
	कुल		19.830	3.0300	0.3400	

क्र. री. 1-2023-829

प्रारूप 'घ'

(नियम-6 के अंतर्गत)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमि पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा (3) उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी के अधिसूचना पत्र क्रमांक 58 रिडर 1/2023 उज्जैन दिनांक 04.01.2023 राज्य सरकार ने नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजन ग्राम मतानारखुर्द तहसील उज्जैन जिला उज्जैन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है संलग्न अधिसूचना बिना विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम अधिकारी तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत व संबंधित ग्राम के लोग समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी/अधिभोगी को दे दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (1) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

/अनुसूची/

क्र.	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	आर.ओ.यू. (फसल)	प्रभावित क्षेत्र पाईप	सिंचित/असिंचित
01.	दिलीप सिंह पिता जसवंतसिंह	12/1 12/2	1.860	0.5000	0.0560	सिंचित
02.	कमलसिंह पिता सजनसिंह संतोष कंवर पति कमलसिंह	14/1/2 14/2	0.990	0.1750	0.0196	सिंचित
03.	कलाबाई बेवा दारासिंह आदि	15/1	0.600	0.1875	0.0210	सिंचित
04.	विरेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह	69	0.600	0.1025	0.0114	सिंचित
05.	राधेश्याम, कैलाश पिता बोंदर	71	1.550	0.1250	0.0140	सिंचित
06.	राजवीर पिता राजेन्द्रसिंह	63/3	0.400	0.2175	0.0243	सिंचित
07.	वंदना कुवर पति गोकुलसिंह	66/2 70	0.700	0.3125	0.0350	सिंचित
	कुल	07	6.700	1.6200	0.1813	

क्र. री. 1-2023-830

प्रारूप 'घ'

(नियम-6 के अंतर्गत)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमि पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा (3) उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी के अधिसूचना पत्र क्रमांक 2462 रिडर 1/2022 उज्जैन दिनांक 24.11.2022 राज्य सरकार ने नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजन ग्राम दाउदखेड़ी तहसील उज्जैन जिला उज्जैन म. प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए। और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है संलग्न अधिसूचना बिना विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 02.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम अधिकारी तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत व संबंधित ग्राम के लोग समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी/अधिभोगी को दे दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (1) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए।

/ अनुसूची /

क्र.	खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित	सर्वे क्रमांक	कुल रकबा हेक्टर में	आर.ओ.यू. (फसल)	प्रभावित क्षेत्र पाईप	सिंचित/असिंचित
01.	श्री सिद्धीविनायक देवकान सप्राली सीमा पति मोहन यादव	35/3	0.627	0.2125	0.0238	सिंचित
02	गोवर्धन,करणसिंह,बाबूलाल, बद्रीलाल पूनमचंद आदि	35/1/1	6.321	0.1625	0.0182	सिंचित
	कुल	02	6.948	0.3750	0.042	सिंचित

राकेश शर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

क्रमांक 45-अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-10359

सागर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

मौजा उल्दन पट. ह. नं.-17 तहसील बण्डा

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना ::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम : उल्दन
4. पट.ह.नं.- : 17
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 12.760 हे.

:: अनुसूची - 01 ::

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे. में)			भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
					सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चंदनसिंग वल्द रतनसिंग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	236	0.110	0.110	0.000	0.000	-
			237	0.100	0.040	0.000	0.000	-
2	गुलाब वल्द गनेश बाबूलाल पिता मुन्नालाल पता सा कुरबाई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238	0.200	0.140	0.000	0.000	बेरी-1 सुलबबूल-2 नीम-1
3	मुकेश नाबालिग पिता मुलू संरक्षक प्रेमरानी पता सागर 1/6 भूमि स्वामी पुष्पेंद्र नाबालिग पिता मुलू संरक्षक प्रेमरानी पता सागर मध्यप्रदेश 1/6 भूमि स्वामी अनीता पुत्री मुलू पता सागर 1/6 भूमि स्वामी गंगा पुत्री पता सागर मध्यप्रदेश 1/6 भूमि स्वामी जमना नाबालिग पिता मुलू संरक्षक प्रेमरानी पता सागर 1/6 भूमि स्वामी प्रेमरानी बेवा पता सागर मध्यप्रदेश 1/6 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242/1	0.050	0.000	0.010	0.000	-

4	जोधन पिता गुलाब पता उल्दन बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242/2/1	0.020	0.010	0.000	0.000	-
5	देवदास पिता गुलाब पता उल्दन बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242/2/2	0.020	0.010	0.000	0.000	-
6	नरेन्द्र ना. वा. वल्द पालक गजराज पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	393	0.100	0.100	0.000	0.000	बेरी-5 अमरुद-3 आम-1 सीताफल-1 सागोन-4 नीम-3 इमली-3 माडनइमली-2 सूलबबूल-3 4
7	लालाराम पिता सूरतसिंह बाबूलाल पिता भगोले पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	394	0.350	0.340	0.000	0.010	नीबू-3 आम-6 अमरुद-4 बेरी-2 नीम-2 केथ-1 सुलबबुल-5 माडनइमली-3 इमली-1 उमर-1 पीपल-1 बबूल-4 चिरोल-1 केम-2 कुआपक्का-1
8	इमरत लालसिंग हरिद्वार माधव राजेन्द्र पिता रामलाल चंपाबाई पुत्री रामलाल सियारानी बेवा रामलाल दीपक पिता नंदराम ज्योति पुत्री नंदराम कृष्णाबाई बेवा नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	406	0.250	0.240	0.000	0.000	आम-2 नीम-2 साज-1 युकेलिपटिस-1
			480/1	0.250	0.140	0.000	0.000	बेरी-1
9	माधव लालसिंह पिस. रामलाल पटैल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	407	0.240	0.100	0.000	0.000	बेरी-3 अमरुद-2 सुलबबुल-6 कुआकच्चा-1 ट्युबवेल-1
10	वृन्दावन पिता अंगद पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी घनीराम पिता जनक पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी नाथूराम पिता अंगद पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी बृजकुमार पिता अंगद पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	480/2	0.250	0.080	0.000	0.000	गुंजा-1 नीम-1 सूलबबुल-2
			1020	0.280	0.280	0.000	0.000	-
			1022	0.270	0.270	0.000	0.000	-

	स्वामी राधारानी बेवा जनक पता बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी जगदीश पिता जनक पता बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी गीता पुत्री जनक पता बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी अनिता पुत्री जनक पता बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी शकुन पुत्री जनक पता बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी							
11	नत्थू वल्द कनई घरम पिस. प्यारेलाल उत्तम अरविन्द्र हरिन्द विश्राम ना. वा. पिस. अमोल पालक व खुद भूमि स्वामी मां बसतरानी बेवा अमोल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	481/1	0.390	0.380	0.000	0.010	अमरुद-15 नींबू-7 खजूर-1 आम-14 सीताफल-2 जामुन-3 जिमरिया-1 बेरी-7 आवला-1 कठहल-1 बेल-1 नीम-11 इमली-4 सूलबबुल-9 अस्तो-1 चिरोल-5 केम-2 केथ-1 युकेलिपटिस-1 छेवला-1 सेमर-1 महुआ-2 बांस-170 सागोन-1 साज-1 रुसल्ला-2 कुआपका-1
			611	0.040	0.000	0.040	0.000	चिरोल-2 नीम-1 सूलबबुल-2
12	अमरसींग पिता नत्थू इमरती पुत्री नत्थू जगरानी बेवा नत्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	481/2	0.020	0.000	0.010	0.010	आम-4 अमरुद-2 कन्जी-1 सुलबबुल-1 करोदा-2
			612	0.080	0.000	0.060	0.020	-

13	मुलुवा वल्द मुन्ना धुन्धावाल्द सुखमन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	494	0.210	0.210	0.000	0.000	नींबू-3 अमरुद-2 आवला-1 आम-2 जामुन-1 बेरी-2 सूलबबुल-5 छेवला-1 बांस-100 सागोन-1 इमली-1 महुआ-1 नीम-1
			544	0.050	0.000	0.030	0.020	बेरी-1 सूलबबुल-3 सागोन-1 बांस-35
			592	0.020	0.000	0.000	0.020	-
			1662	0.200	0.050	0.000	0.000	-
14	श्रीदेव हनुमानजी मंदिर सा देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर भूमि स्वामी महन्त श्यामबिहारीदास चेला हरमजनदास पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	495	0.260	0.260	0.000	0.000	-
			497	0.340	0.340	0.000	0.000	-
			528	0.460	0.120	0.000	0.000	-
			599	0.020	0.000	0.020	0.000	-
15	भावनादेवी पति टेकचंद शोभना देवी पति संतोषकुमार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	496	0.210	0.210	0.000	0.000	-
16	शांति बेवा धनीराम अशोक पूरन अनंदा हरीराम पिता धनीराम उमा चंपा पुत्री धनीराम पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	501	0.460	0.070	0.000	0.000	अमरुद-20 बेरी-1 नींबू-2 सीताफल-2 युकेलिपटिस-1 गुंजा-1 कजी-1 नीम-2 सूलबबुल-1 7 कुआपक्का-1
17	श्रीदेव जानकी रमणजी मंदिर ट्रस्ट विन्दावन बाग गोपालगंज सागर मुह. महन्त श्यामबिहारी दास चेला हरमजनदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय पता सा सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	502	0.780	0.000	0.120	0.000	-
			535	2.220	0.000	1.280	0.000	महुआ-1 इमली-4 कुआ(असफल)
			573	0.020	0.000	0.020	0.000	-
			593	0.040	0.000	0.020	0.020	-
			603	0.030	0.000	0.030	0.000	-

			604	0.080	0.080	0.000	0.000	अमरुद-2 नींबू-2 अनार-1 जामुन-1 सूलबबुल-1 0 यूकेलिपटिस- 2
			634	0.010	0.000	0.010	0.000	-
			635	0.020	0.000	0.020	0.000	-
			642	0.030	0.000	0.030	0.000	-
18	बलराम माखन रामकिशन पिस. बाबूलाल जगरानी बेवा बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	527	0.540	0.250	0.000	0.000	बेरी-5 आम-5 आवला-1 अनार-1 अमरुद-8 यूकेलिपटिस- 1 रायकरोदा- 2 कुआपक्का- 1
			615	0.060	0.060	0.000	0.000	नींबू-1 पपीता-1 बेल-1 मुनगा-1
19	मुलू वल्द मुन्ना पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	529	0.400	0.050	0.000	0.000	-
			602	0.040	0.000	0.040	0.000	-
20	गोपाल पिता खुमान पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	532/1	0.210	0.000	0.020	0.000	-
			613/2	0.030	0.000	0.030	0.000	-
			1491/4	0.010	0.000	0.010	0.000	-
21	जीवन पिता खुमान पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	532/2	0.200	0.000	0.010	0.000	-
			613/4	0.030	0.000	0.030	0.000	पीपल-1
			1491/5/ 2	0.020	0.000	0.020	0.000	-
22	धनीराम पिता खुमान पता सादेह बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	533	0.280	0.000	0.020	0.000	-
			613/3	0.030	0.000	0.030	0.000	-
23	झब्बू उर्फ भबूदे मुन्ना उर्फ महीप बब्बू पिता गनेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	536	0.020	0.000	0.020	0.000	-
24	श्री बृदान्वन बाग ट्रस्ट गोपालगंज स.मु. प्रेमनारायण चेला गरीबदास रामरतन रामचरनदास चेला प्रेमदास भूमि स्वामी बलराम रामप्रसाद मु. अति. कले. एवं प्रबंधक समिति बृन्दावन बागट्रस्ट गोपाल गंज भूमि स्वामी प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	537	0.680	0.670	0.000	0.010	नीम-1 महुआ-1 इमली-8 कुआपक्का- 1

25	कपूर मलखान प्रकाश शिवचरन रगवीर गब्बर वीरसिंह पिता मल्था द्रोपती पुत्री मल्था सुमत्रा बेवा मल्था पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	539	0.050	0.050	0.000	0.000	—
			540/1	0.020	0.000	0.020	0.000	—
			540/3	0.010	0.000	0.010	0.000	—
			582	0.010	0.000	0.010	0.000	—
26	सुमंत्राबाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	540/2	0.020	0.000	0.020	0.000	—
			540/4	0.020	0.000	0.020	0.000	—
27	इमरत पिता गनेश मनकुवा पिता बालगोल कोमलबाई पति गनेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	543	0.050	0.000	0.030	0.020	अमरुद-1 बेरी-1 सीताफल-1 बांस-70 सूलबबुल-3 सागोन-3
28	दलीप दुर्गादास तुलसी सुखसींग पिता नंना मैदाबाई बेवा नंना पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	547	0.090	0.000	0.090	0.000	—
			584	0.020	0.000	0.020	0.000	—
29	हरिनारायण भगवतप्रसाद पिता बाबूलाल पता सा0 देह सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	553	0.010	0.000	0.010	0.000	—
			572	0.040	0.000	0.040	0.000	—
			574	0.020	0.000	0.020	0.000	—
			578	0.050	0.050	0.000	0.000	—
30	भावना देवी बेवा टेकचंद सोमना पति संतोष कुमार पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी राजा रोहित ब्रजेश पिता धनसिंह हल्की बहू बेवा धनसिंह नल्थूबाई सावित्री पु. गनेश विकाश रोशनी पिस. करनसिंह बड़ी बहू बेवा करनसिंह पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी सुमतरानी बेवा हरप्रसाद रमेश महेश पिस0 हरप्रसाद पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	554	0.060	0.000	0.060	0.000	—
			580	0.020	0.000	0.020	0.000	—
31	मुन्नालाल पिता भैयालाल पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी नरेन्द्र पिता नाथूराम जाति जैन पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भूमि स्वामी धन्य कुमार पिता नाथूराम जाति जैन पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भूमि स्वामी वीनेन्द्र कुमार पिता नाथूराम जाति जैन पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भूमि स्वामी शांतिबाई बेवा नाथूराम जाति जैन पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भूमि स्वामी मन्जूलता पुत्री नाथूराम जाति जैन पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भूमि स्वामी मीनल पुत्री नाथूराम जाति जैन पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भूमि स्वामी महेंद्र कुमार पिता भैयालाल पता	भूमि स्वामी	570	0.020	0.000	0.020	0.000	—

	बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी शशि जैन बेवा कमल कुमार ग्रीष्मा विदुषी पुत्रिया कमल कुमार पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी								
32	मुन्नीबाई पुत्री मिरचू पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	571/1	0.010	0.010	0.000	0.000	—	
33	राजेश पिता ताराचंद पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	571/2	0.010	0.000	0.010	0.000	—	
34	सौरव गौरव पिता टेकचंद भावना बेबा टेकचंद पल्लवी पुत्री टेकचंद पता सा.देह सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	577	0.020	0.000	0.020	0.000	बांस-25	
			579	0.020	0.000	0.020	0.000	—	
35	रमेशकुमार महेश कुमार पिस. हरप्रसाद सुमनरानी बेवा हरप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	581	0.010	0.000	0.010	0.000	नींबू-2 अनार-1 जामुन-3 अमरुद-3 मुनगा-1 आम-6 बेल-1	
36	गुपाल बलराम किशन पिता दम्मानदूष पिता मल्लेवतीबाई बेवा मल्ले पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	583	0.020	0.000	0.010	0.010	—	
37	पुन्ना भगुन्ता छोटा पिता कछुआ साकिन देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	585	0.030	0.000	0.030	0.000	—	
38	छुट्टा वल्द कलू परमिया पुत्री कलू प्यारेलाल वल्द हजारी शिवराज ना. वा. वल्द बस्सू पा. आजी व खुद भूमि स्वामी बडीबहू बेवा हजारी रल्ली वल्द बल्ला पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	586	0.030	0.000	0.000	0.030	—	
39	हरदास रगवीर हरिनारायण मनोज हरिकिशन पिता खेतसींग आशा पुत्री खेतसींग फूलरानी बेवा खेतसींग गिरधारी भैयाराम फेरन पिस. कारे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	587	0.040	0.000	0.040	0.000	—	
40	कडोरी पिता खिलान मझली बहू बेवा खिलान काछी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	588/1	0.020	0.000	0.020	0.000	—	
41	रूपसींग जगदीश गौरीशंकर शंकर पिता जाहर किल्लो पुत्री जाहर सुहागरानी बेवा जाहर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	588/2	0.010	0.000	0.010	0.000	—	
42	अमोल सींग पिता नंदकिशोर पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी रामवती पति पूरन पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी हल्की बहू बेवा रोहन भरत गोलू राहुल पिस. रोहन गीता गायत्री हेमवती पुत्रियाँ रोहन पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	588/3	0.010	0.000	0.010	0.000	—	
			656/3	0.020	0.000	0.020	0.000	—	

43	मकिया पुत्री परमू पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी गुलाब पिता खुमान पता तिनसुआ बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/10 भूमि स्वामी लख्खू पिता खुमान पता तिनसुआ बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/10 भूमि स्वामी दीपक पुत्री खुमान पता तिनसुआ बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/10 भूमि स्वामी दीपा पुत्री खुमान पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/10 भूमि स्वामी मालती पुत्री खुमान पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/10 भूमि स्वामी कीर्ति पुत्री कन्हैयालाल पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/40 भूमि स्वामी गुन्जाबाई पुत्री कन्हैयालाल पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/40 भूमि स्वामी रानू पुत्री कन्हैयालाल पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/40 भूमि स्वामी रेखा पुत्री कन्हैयालाल पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/40 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	589	0.030	0.030	0.000	0.000	कुआपक्का-1
44	जगन वल्द हरिया मंझली बहु बेवा भोला नथू वल्द हल्कू अछेलाल ना.वा. वल्द हल्कू भूमि स्वामी पा. मां खुद खुमानो बेवा हल्कू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	590	0.010	0.000	0.000	0.010	बेरी-1 मुनगा-1 सीताफल-1 बेल-1 अमरुद-3 बांस-15 सूलबबुल-2 रायकरोदा-1
45	मकिया पुत्री परमू सा. देह पुन्ना मगुन्ता छोटा पिस. लछुवा कीर्ति गुन्जाबाई रानू रेखा पिता कन्हैयालाल दीपा मालती गुलाब लख्खू पिता खुमान पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	591	0.010	0.000	0.000	0.010	बेल-1 अमरुद-4
46	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल लटोरा वल्द लुखवा दम्मा वल्द गोरा भूमि स्वामी मेंदाबाई बेवा नंना दलीपदुरगा तुलसी रूपसींग पिता नंना पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	594	0.010	0.000	0.000	0.010	अमरुद-1 सूलबबुल-1
47	लीला पिता रंजीता पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी मुन्ना पिता रंजीता पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	595	0.120	0.000	0.120	0.000	-
48	रल्ली लछमन वल्द जुगरू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	596	0.020	0.000	0.020	0.000	बास-70

49	नाथूराम सुन्दर ग्यारसी पिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	597	0.040	0.020	0.000	0.020	बेरी-3 अमरुद-7 जामुन-1 मुनगा-1 सीताफल-1 नींबू-1 सुलबबुल-1
			598	0.040	0.010	0.000	0.030	बेरी-1 बेल-2 नींबू-2 अमरुद-3 सीताफल-1 आवला-1 सुलबबुल-1 रायकरोदा- 1
50	कल्लो पुत्री कनेया पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	600	0.010	0.000	0.010	0.000	-
51	संतोष पिता हीरालाल पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी छोटे पिता हीरालाल पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी अशोक पिता धनप्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी माखन पिता धनप्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी नन्ने पिता धन प्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी प्रभुदयाल पिता धनप्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी सुमतरानी पिता धनप्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी रामरानी बेवा गजराज नरेन्द्र सत्यनारायण पिता गजराज मीना पुत्री गजराज पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	601	0.060	0.060	0.000	0.000	-
52	हरीसींग वल्द रगवर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	605	0.040	0.000	0.040	0.000	-
			1579/1	0.100	0.100	0.000	0.000	अमरुद-1 आम-3 कठहल-2 बांस-30 सुलबबुल-3

53	बाबूलाल नेतराम पिता किशुन पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 7/2 भूमि स्वामी कला पुत्री भोपाल पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी मागबाई पुत्री भोपाल पता सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी दरयाव पिता भोपाल पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी खेतसींग पिता भोपाल पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 7/2 भूमि स्वामी भूपेन्द्र पिता मुन्ना पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 7/1/4 भूमि स्वामी ओमकार पिता मुन्ना पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 7/1/4 भूमि स्वामी सुरेन्द्र पिता मुन्ना पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 7/1/4 भूमि स्वामी वन्दना पुत्री मुन्ना पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 7/1/4 भूमि स्वामी अंगूरी पुत्री मुन्ना पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 7/1/4 भूमि स्वामी संतोषरानी बेवा मुन्ना पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 7/1/4 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	606	0.080	0.000	0.040	0.040	पपीता-2 मुनगा-1 बेरी-2 कठहल-1 केथ-1 सूलबबुल-4 बास-2
			1578	0.250	0.060	0.000	0.000	कर-40 खजूर-2 मुनगा-2 बेरी-1 सूलबबुल-3
54	रगवर पिता भैयालाल काछी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	607	0.080	0.010	0.000	0.070	कैथा-1 अमरुद-1 जामुन-1 बेल-1 नींबू-1 बेरी-1 सूलबबुल-5 रायकरोदा-1
			609	0.100	0.100	0.000	0.000	कठहल-1 बेरी-1 सूलबबुल-1 चिरोल-2
55	परम अमोल पिता प्यारेलाल सुखरानी बेवा प्यारेलाल हरबाई ताराबाई विमल पुत्री प्यारेलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	610	0.080	0.080	0.000	0.000	बेल-1 सूलबबुल-2 यूकेलिपटिस-2 चिरोल-1
56	खिलान पिता खुमान पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	613/1	0.030	0.000	0.030	0.000	-
			1491/5/1	0.010	0.000	0.010	0.000	-
57	मगवानदास वल्द कन्छेदीसा. सागर मनमोहन वल्द देवसींग पूना बेवा देवसींग भूरीबाई हरबाई चतराबाई भूमि स्वामी काशीबाई पुत्री देवसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	614	0.050	0.050	0.000	0.000	मुनगा-1 बेरी-6

58	आकाश बा देशराज नाबा पिता रामेश्वर पालक व खुद मां संतोषरानी बेवा रामेश्वर शशि पुत्री रामेश्वर दामोदर धनीराम पिस. नारायण गंगाबाई कुंवर बाई पुत्री नारायण पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	617	0.060	0.000	0.060	0.000	-
59	गनेश वल्द ननू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	618	0.040	0.040	0.000	0.000	अमरुद-1 जिमरिया-1 बेरी-2 सूलबबुल-1
60	भरत पिता ग्याप्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी इंदुर पिता ग्याप्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी चिन्तामन पिता ग्याप्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी नन्नेभाई पिता ग्याप्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी गुलाबरानी बेवा ग्याप्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी रामदास पिता मुरली पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/1 भूमि स्वामी खेमराज पिता मुरली पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/1 भूमि स्वामी कमलरानी बेवा मुरली पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/1 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	619	0.010	0.000	0.010	0.000	-
			621	0.010	0.000	0.010	0.000	-
61	लल्लू वल्द मकुंदी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	620	0.010	0.000	0.010	0.000	-
			624	0.080	0.000	0.080	0.000	-
62	किशन तुलसी गुपाल माधव रज्जू कलू पिस. उद्वेतरामवती गुड्डी पु. उद्वेत सुकरानी बेवा उद्वेत पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	622	0.010	0.000	0.010	0.000	-
63	मलखान राधेश्याम पिस. बारेलाल तुलसाबाई ना वा पुत्री बारेलाल पालक व खुद मां पूनाबाई बेवा बारेलाल रामचरण हुकम पिस. पतोला रूकमन रामकली आशाबाई पुत्री पतोला पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	623	0.010	0.000	0.010	0.000	-
			1167	0.060	0.060	0.000	0.000	-
64	जुगू पिता बालचंद्र पता उल्दन बन्डा सागर 1/4 भूमि स्वामी रामदीन पिता बालचंद्र पता उल्दन बन्डा सागर 1/4 भूमि स्वामी रामसींग पिता बालचंद्र पता उल्दन बन्डा सागर 1/4 भूमि स्वामी नंदकिशोर पिता मिदतू पता उल्दन बन्डा सागर 1/8 भूमि स्वामी रामदुलारी बेवा मिदतू पता उल्दन बन्डा सागर 1/8 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	625	0.020	0.000	0.020	0.000	-
65	धनप्रसाद पिता सरयूप्रसाद सुगंधी	भूमि	626	0.010	0.000	0.010	0.000	-

	तुलसा पु. बंशी ओंकार सुरेश राकेश पिस. प्रेमनारायण दीपक पिता जगमोहन भावना पुत्री जगमोहन सरोज बेवा जगमोहन पता सा देह भूमि स्वामी	स्वामी	1470	0.070	0.070	0.000	0.000	—
66	देवेन्द्र नारायण रवीन्द्र नारायण राजेन्द्र नारायण पिता ग्याप्रसाद प्रेमापुष्पा पुत्री ग्याप्रसाद पता सा दुर्ग भूमि स्वामी महेश प्रसाद शिवनारायण पिता लछमन प्रसाद भगवानदास राममनोहर गनेश पिता रामदयाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	627	0.010	0.000	0.010	0.000	—
67	शारदाबाई पुत्री शोभाराम पति रामसेवक पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	627/16	0.010	0.000	0.000	0.010	—
			90					
			1199	0.050	0.050	0.000	0.000	—
			1450	0.020	0.020	0.000	0.000	—
68	ममता पुत्री घनीराम पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	629	0.040	0.000	0.040	0.000	—
69	राजेन्द्र राकेश पिता द्वारका प्रसाद निशा पुत्री द्वारका प्रसाद इन्द्ररानी बेवा नर्मदाप्रसाद छोटे रवि रामस्वरूप पिता नर्मदाप्रसाद जानकी पुत्री नर्मदा प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	630/1	0.020	0.000	0.020	0.000	बबूल-1 सूलबबूल-3
70	केशव प्रसाद उर्फ सुरेश कुमार पिता कामताप्रसाद पता सा.देह बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पिता कामता प्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी श्यामा पुत्री कामता प्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी गिरजा पुत्री कामता प्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शकुन पिता कामताप्रसाद पता उल्दन बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	630/2	0.010	0.000	0.010	0.000	—
71	राकेश चमनलाल पिता द्वारका निशा पुत्री द्वारका गायत्री बेवा द्वारका रेखा पुत्री छोटे लाल रामस्वरूप रविशंकर पिता नर्मदाप्रसाद बतीबाई जानकीबाई पुत्री नर्मदाप्रसाद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	631	0.040	0.000	0.040	0.000	—
			1449	0.020	0.000	0.010	0.010	—
72	किशन बल्द जूजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	632	0.020	0.000	0.020	0.000	—
73	पंचा कडोरा पिता चेतुआ बडीबहू बेवा चेतुआ श्यामा पूना छोटी पुत्री चेतुआ आविदवासनवारी बेवा हल्कुआ भूमि स्वामी दुरगा गनपतिया पंचुआ पुत्र हल्कुआ कलुवलद बलुवा पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	633	0.010	0.000	0.010	0.000	—
			637	0.020	0.000	0.020	0.000	—

74	खिलान पिता दमरू भरोसी पिता खुमान नन्हेमाई जमना गन्धर्व पिता भरोसी सरस्वती पुत्री दमरू पानबाई बेवा शुकला छोटा पिता शुकला पवन पिता फुंदी सावित्री हरीबाई अगूरी पुत्रियाँ फुंदी सियाबाई बेवा फुंदी राजरानी बेवा सेवक राजेश घमन्द्र देबू नाबा पिता सेवक मीना गायत्री विट्टु नाबा पुत्री सेवक पा. व खुद माँ राजरानी पता बन्डा भूमिस्वामी	भूमि स्वामी	636	0.050	0.020	0.000	0.030	बेरी-1 मुनगा-1 माडनइमली -1 सूलबबुल-1
			638	0.040	0.030	0.000	0.010	बेरी-2
75	घसीटे पिता छुट्टी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	639/1	0.020	0.000	0.010	0.010	गुंजा-1 बबूल-1
76	मनोज पिता छुट्टी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	639/2	0.020	0.000	0.010	0.010	-
77	अनुराद नाबा पिता चिन्तामन कृष्णा बालिग उत्तरा नाबा पुत्री चिन्तामन पालक व खुद माँ रामरानी बेवा चिन्तामन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	639/3	0.020	0.000	0.020	0.000	अमरुद-2 मुनगा-1 सीताफल-1 सूलबबुल-3 माडनइमली-1 बांस-5
78	बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	640	0.140	0.020	0.000	0.120	अमरुद-2 पपीता-1 सागोन-1 सूलबबुल-2 यूकेलिपटिस-2
79	गीता पुत्री जनक पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 भाग भूमि स्वामी धनीराम पिता जनक पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी राधारानी बेवा जनक पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भूमि स्वामी जगदीश पिता जनक पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी अनीता पुत्री जनक पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी शकुन पुत्री जनक पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	644	0.010	0.000	0.010	0.000	-
	645		0.010	0.000	0.010	0.000	यूकेलिपटिस -1 चिरोल-1	
	646		0.010	0.000	0.010	0.000	-	

80	मीराबाई पुत्री सुन्दर पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी बिहारी पिता गनेश पता बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी संतोष पिता गनेश पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी सियारानी बेवा गनेश पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी लीला पुत्री गनेश पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी रामवती पुत्री गनेश पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी राधाबाई पुत्री गनेश पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी फूलबाई पुत्री गनेश पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी बैजंती पुत्री गनेश पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी रामरानी बेवा काशीराम पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी रश्मि पुत्री काशीराम पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी भावना पुत्री काशीराम पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी चांदनी पुत्री काशीराम पता बन्डा बन्डा सागर मध्यप्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	649	0.030	0.000	0.030	0.000	-
81	फूलरानी पत्नी खेतसींग पता सा. देह बंडा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	655	0.030	0.000	0.030	0.000	-
82	नथू वल्द मांगू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	672	0.020	0.000	0.000	0.020	बेरी-1
			676/2	0.030	0.000	0.000	0.030	-
			677	0.020	0.010	0.000	0.010	-
83	गप्पू पूरन शंकर पिस. दम्मा तेजाबाई बेवा दम्मा शांतिबाई पुत्री दम्मा नथू नंदलाल पिस. मांगू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	676	0.090	0.000	0.000	0.030	नींबू-3 अमरुद-10 केथा-1 बेल-2 जामुन-2 आवला-1 अनार-3 आम-2 सूलबबुल-5 इमली-1 बहेडा-1 यूकेलिपटिस-5 बांस-57
84	श्री देव जानकी रमणजी मंदिर	भूमि	692	0.050	0.050	0.000	0.000	-

	ट्रस्ट बिन्दावन बाग गोपालगंज सागर, मुह. महन्त श्यामबिहारीदास चेला हरमजनदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय पता सा सागर भूमि स्वामी	स्वामी	917	4.770	0.300	0.000	0.000	—
85	बलराम पिता भुजबल पता उल्दन बन्डा सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी सुखसींग पिता भुजबल पता सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी रामप्रसाद पिता भुजबल पता उल्दन बन्डा सागर म०प्र० 1/4 भाग भूमि स्वामी संदीप पिता दिनेश पता सागर म०प्र० 1/20 भाग भूमि स्वामी अरविंद पिता दिनेश पता उल्दन बन्डा सागर म०प्र० 1/20 भाग भूमि स्वामी संजोबाई पुत्री दिनेश पता सागर म०प्र० 1/20 भाग भूमि स्वामी अजबरानी बेवा दिनेश पता सागर म०प्र० 1/20 भाग भूमि स्वामी धनीराम पिता दिनेश पता उल्दन बन्डा सागर म०प्र० 1/20 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	849	0.280	0.280	0.000	0.000	—
86	बिहारी पिता गनेश पता उल्दन बन्डा सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1153	0.130	0.000	0.130	0.000	—
87	हरनाम पिता रामचरण पता उल्दन बन्डा सागर म०प्र० 1/7 भूमि स्वामी राजाराम पिता रामचरण पता उल्दन 1/7 भूमि स्वामी काशीराम पिता रामचरण पता उल्दन 1/7 भूमि स्वामी फुला पुत्री रामचरण पता उल्दन 1/7 भाग भूमि स्वामी तुलसा पुत्री रामचरण पता उल्दन 1/7 भाग भूमि स्वामी दुर्गा पुत्री रामचरण पता उल्दन बन्डा सागर म०प्र० 1/7 भाग भूमि स्वामी शिवरानी बेवा रामचरण पता उल्दन बन्डा सागर म०प्र० 1/7 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1259	0.240	0.000	0.240	0.000	—
88	चन्द्ररानी पति वीरसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1334	0.600	0.600	0.000	0.000	खैर-1 रेंजा-1
89	गुलझारी गोपी शंकर भुजबल पिस. गनेश राजरानी बेवा गनेश राजकुमारी पिता झल्ले कमलेश राकेश मुकेश पिस. फुलूरामप्यारी बेवा फुलू पता बन्डा 1/8 भूमि स्वामी नत्थीबाई पिता रामलाल पता उल्दन बन्डा 1/8 भूमि स्वामी जगरानी पिता बाबूलाल बलराम माखन रामकिशन पिस. बाबूलाल पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी गौराबाई पुत्री नन्नू पता बन्डा 1/8 भूमि स्वामी पार्वतीबाई पुत्री नन्नू पता बन्डा 1/8 भूमि स्वामी भैयालाल पिता नन्नू पता बन्डा 1/8 भूमि स्वामी कल्लो ललिता पुत्री रामरतन अनंदा देवसिंह बब्लू मुन्ना पिस. रामरतन पता बन्डा 1/8 भूमि स्वामी पचम भगवानदास देवसिंह दिनेश पिता	भूमि स्वामी	1463	0.010	0.000	0.010	0.000	—

	अच्छेलाल कल्लू कुसुम रुकमन पुत्री अच्छेलाल चन्दारानी बेवा अच्छेलाल पता बन्डा 1/8 भूमि स्वामी							
90	चिन्तामन पिता ग्याप्रसाद पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी रमेश पिता परसादी पता महमदा बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी जमना पिता परसादी पता महमदा बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी किशोर पिता परसादी पता महमदा बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी पुष्पा पुत्री परसादी पता महमदा बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1465	0.010	0.000	0.010	0.000	-
91	कमोदसींग पिता भूजबलसींग पता सा बेसली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1466	0.030	0.000	0.030	0.000	-
			1474	0.060	0.060	0.000	0.000	बेरी-1 अमरुद-1 जामुन-1 चिरोल-1 बबूल-2 सूलबबूल-8
			1475	0.030	0.000	0.020	0.010	आम-2 बेरी-1 अमरुद-1 सूलबबूल-6 चिरोल-1 बांस-10
92	गुड्डा पिता रामदयाल पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी छोटेलाल पिता रामदयाल पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी कमला पुत्री रामदयाल पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी पूनाबाई पुत्री रामदयाल पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी अनतराम काशीराम पिता हरीराम सुमत्रा पुत्री हरीराम पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी प्रीतम भगवत दिलीप राजकुमार पिता हरप्रसाद संतोषी कौशल्या पुत्रियाँ हरप्रसाद पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1468	0.120	0.120	0.000	0.000	बेरी-2 बबूल-1 सूलबबूल-1
93	राहुल रोहित पिता अवधबिहारी विनीता नवीता पुत्री अवधबिहारी माया बेवा अवध बिहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1471/1	0.050	0.050	0.000	0.000	पीपल-1
94	बलराम रूपनारायण पिता श्याम बिहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1471/2	0.060	0.060	0.000	0.000	चिरोल-3
95	हरदास वल्द कुंजी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1472/1	0.020	0.000	0.020	0.000	सूलबबूल-1
			1473/2	0.020	0.000	0.020	0.000	-

96	रामप्रसाद कोमल पिस. मबूदे नर्मदाबाई बेवा मबूदे रामरानी बेवा हरीराम नंनीबाई भूमि स्वामी द्रोपतीबाई पुत्री हरीराम पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1472/2	0.020	0.020	0.000	0.000	-
			1473/1	0.010	0.010	0.000	0.000	-
97	गोपाल पिता खुमान पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी खिलान पिता खुमान पता सादेह सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी घनीराम पिता खुमान पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी जीवन पिता खुमान पता सादेह बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/4 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1491/7	0.020	0.000	0.020	0.000	-
			1491/6	0.040	0.040	0.000	0.000	-
			1491/8	0.010	0.000	0.010	0.000	-
98	हरनाम काशीराम राजाराम पिता रामचरण दुर्गा फूला तुलसा पुत्रियाँ रामचरण शिवरानी बेवा रामचरण पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी उमराव पिता लालसिंह पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी हल्काई पिता लालसिंह पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1501	0.070	0.000	0.070	0.000	-
99	घनप्रसाद पिता सरयूप्रसाद सुगंधी तुलसा पु. बंशीधर आंकार सुरेश राकेश पिस. प्रेमनारायण दीपक पिता जगमोहन भावना पुत्री जगमोहन सरोज बेवा जगमोहन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1525	0.100	0.000	0.100	0.000	-
100	रामजी ना बा पिता पंचम वली दादा रगवर पिता भैयालाल काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1579/2	0.100	0.100	0.000	0.000	बेरी-2 छेवला-1
101	आशारानी पति केशरलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1581	0.170	0.170	0.000	0.000	अमरुद-7 आम-1 छेवला-1 सूलबबुल-7 बास-255
			1583	0.300	0.190	0.000	0.000	ट्युबवेल-1
102	सदारानी बेवा दरयाव पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी भगवानदास पिता दरयाव पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी राजकुमार पिता दरयाव पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी मीना पुत्री दरयाव पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी ब्रजबाई पुत्री दरयाव पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी संगीता पुत्री दरयाव पता उल्दन बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1584/1	0.630	0.120	0.000	0.000	कुआ पक्का-1

103	संतोष कुमार वल्द डालचंद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1584/2	0.800	0.340	0.000	0.000	-
104	किकोबाई मालतीबाई मुनाबाई गुडडीबाई पुत्री चेतू रामदुलारी बेवा चेतू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1663	0.080	0.000	0.020	0.000	-
कुल योग:-			168	22.990	8.070	4.020	0.670	

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

स.क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/अस्थाई)
				झोपड़ी/ कच्चा कबेल/ टिनशेड/ पक्का गाटर फर्शी/ आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.में)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	इमरत पिता गनेश बगैरह	543	शीलाबाई पति इमरत अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का उपर खपरैल उपर की मंजिल	20.91 20.91	निरंक	ग्राम में अन्यत्र निवास मकान बंद है
				कुलयोग :-	41.82		
2	मुलुवा वल्द मुन्ना बगैरह	544	रगबीर पिता मल्था अहिरवार	मकान दीवार पत्थर एक मंजिल छत फर्शी गैर रहवासी	29.45	निरंक	मकान रहवास योग्य नहीं है
				कुलयोग :-	29.45		
3	मुलुवा वल्द मुन्ना बगैरह	544	प्रकाश पिता मल्था अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्शी कच्चा दहलान दीवार पत्थर छत टीनसेट शौचालय पक्का	35.88 21.62 1.44	निरंक	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	58.94		
4	गुपाल बलराम किशन पिता दम्मानदूप पिता भल्लेवतीबाई बेवा भल्ले पता सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	583	1- तुलसीराम पिता नन्ना अहिरवार 2- सुखसींग पिता नन्ना अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल भू-तल उपर की मंजिल प्रथम तल दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल+टीनशेड फर्शी कच्चा शौचालय	46.41 46.41 31.40 1.44	निरंक	तुलसीराम का निवास है सुखसिंह का निवास इंदोर में है
				कुलयोग :-	125.66		
5	गुपाल बलराम किशन पिता दम्मानदूप बगैरह	583	संतोष पिता तुलसीराम	मकान दीवार पत्थर कच्चा छत खपरैल फर्शी कच्चा	26.45	निरंक	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	26.45		

6	छुट्टा वल्द कलू बगैरह	586	जयराम पिता छोटे लाल अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	13.53	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल प्रथम तल	13.53		
				दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी	7.54		
				शौचालय छत सीमेंटशीट	1.44		
				कुलयोग :-	36.04		
7	छुट्टा वल्द कलू बगैरह	586	जयहिन्द पिता छोटेलाल अहिरवार	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	33.12	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी पत्थर फर्श कच्चा	23.43		
				कुलयोग :-	56.55		
8	छुट्टा वल्द कलू बगैरह	586	माखन पिता दोजे अहिरवार प्रीतम पिता दोजे अहिरवार हिस्सा 1/2	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	25.46	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल प्रथम तल	25.46		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	30.15		
				उपर की मंजिल प्रथम तल	30.15		
				दहलान पक्का छत फर्शी लैंटर कंक्रीट फर्श पक्का	21.44		
				शौचालय	1.44		
				शौचालय	1.44		
9				निरंक	0	हरिद्वार पिता मलखान	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	135.54		
10	छुट्टा वल्द कलू बगैरह	586	सेवादास पिता छोटे लाल अहिरवार प्रहलाद पिता छोटेलाल	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	25.01	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत खपरैल प्रथम तल	25.01		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	31.11		
				उपर की मंजिल छत खपरैल प्रथम तल	31.11		
				दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी पत्थर फर्श कच्चा	11.48		
				कुलयोग :-	123.72		
11	जगन वल्द हरिया बगैरह	590	उमदी पिता रल्ली अहिरवार	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत जिंक सीट फर्श कच्चा	28.28	निरंक	स्थाई निवास
				शौचालय	1.44		
12				निरंक	0	जितेन्द्र पिता रल्ली	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	29.72		

13	विशुनिया मकिया पुत्री परमू सा.देह पुन्ना भगुन्ता छोटा पिस. लछुवा पता सा देह भूमि स्वामी	591	खिलान प्रसाद पिता मुलू अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	41.33	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल प्रामि तल	41.33		
				दहलान दीवार पत्थर छत जीक सीट	21.45		
				दहलान कच्ची छत खपरैल	14.25		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	119.79		
14	विशुनिया मकिया पुत्री परमू सा.देह पुन्ना भगुन्ता छोटा पिस. लछुवा पता सा देह भूमि स्वामी	591	घनश्याम पिता खिलान प्रसाद अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	29.40	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल प्रथम तल छत खपरैल	29.40		
				निरंक	0.00		
15				निरंक	0.00	धर्मराज पिता खिलान	स्थाई निवास
16				निरंक	0.00		
				कुलयोग :-	58.80		
17	विशुनिया मकिया पुत्री परमू बगैरह	591	गब्बर पिता मल्था अहिरवार	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल	30.96	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	33.30		
				उपर की मंजिल खपरैल प्रामि तल	33.30		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल +टीनसेट	26.64		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	125.64		
18	विशुनिया मकिया पुत्री परमू सा.देह पुन्ना भगुन्ता छोटा पिस. लछुवा पता सा देह भूमि स्वामी	591	विजय पिता दोजे अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	40.32	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल प्रामि तल	40.32		
				दहलान दीवार पत्थर की छत लेटर आर.सी.सी.	29.64		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	111.72		
19	मुलुवा वल्द मुन्ना धुन्धावाल्द सुखमन पता सा देह भूमि स्वामी	592	मलखान पिता मल्था अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	23.40	निरंक	अस्थाई निवास
				उपर की मंजिल	23.40		
				दहलान दीवार पत्थर छत गाटर फर्सी	19.80		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	68.04		

20	मुलुवा वल्द मुन्ना धुन्धावाल्द सुखमन पता सा देह भूमि स्वामी	592	कपूरे पिता मल्था अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत भू-तल	23.40	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत सीमेंट शीट	23.40		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	48.24		
21	मुलुवा वल्द मुन्ना बगैरह	592	सुमित्रा बेबा मल्था अहिरवार	पी.एम. आवास आर.सी.सी.	25.18	निरंक	स्थाई निवास
				शौचालय छत नही	1.44		
				कुलयोग :-	26.62		
22	श्रीदेव जानकी रमणजी मंदिर ट्रस्ट विन्दावन बाग गोपालगंज सागर मुह. महन्त श्यामबिहारी दास चेला हरभजनदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय पता सा सागर भूमि स्वामी	593	राकेश पिता कड़ोरी अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर छत पत्थर की	17.22	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल प्रथम तल	17.22		
				कुलयोग :-	34.44		
23	श्रीदेव जानकी रमणजी मंदिर ट्रस्ट विन्दावन बाग गोपालगंज सागर मुह. महन्त श्यामबिहारी दास चेला हरभजनदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय पता सा सागर भूमि स्वामी	593	मुकेश पिता कड़ोरी अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर छत पत्थर की	17.22	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल प्रथम तल	17.22		
				कुलयोग :-	34.44		
24	श्रीदेव जानकी रमणजी मंदिर ट्रस्ट विन्दावन बाग गोपालगंज सागर मुह. महन्त श्यामबिहारी दास चेला हरभजनदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय पता सा सागर भूमि स्वामी	593	हल्की बहू बेबा कड़ोरी	दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी पत्थर की फर्श कच्चा	28.90	निरंक	स्थाई निवास
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	30.34		
25	सागर भूमि स्वामी	593	सुरेश पिता गुमान अहिरवार देवसींग पिता गफलु बिहारी पिता गफलु हिस्सा 1/3	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत भू-तल	44.18	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल	44.18		
				शौचालय	1.44		
26				निरंक	0.00	जीवन पिता बिहारी	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	89.80		

27.	श्रीदेव जानकी रमणजी मंदिर ट्रस्ट विन्दावन बाग गोपालगंज सागर मुह. महन्त श्यामबिहारी दास चेला हरभजनदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय पता सा सागर भूमि स्वामी	593	देवसींग पिता गफलू अहिरवार	मकान दीवार पत्थर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	17.55	निरंक	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	17.55		
28	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल लटोरा वल्द लुखवा दम्मा वल्द गोरा भूमि स्वामी मेंदाबाई बेवा नंना दलीपदुरगा तुलसी रूपसींग पिता नंना पता सा देह भूमि स्वामी	594	ग्यारसी प्रसाद पिता मोहन प्रसाद अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत भू-तल	23.94	निरंक	अस्थाई
				उपर की मंजिल खपरैल	23.94		
				कुलयोग :-	47.88		
29	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता बगैरह	594	सुन्दर पिता मोहन अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	21.16	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल दीवार ईट की छत खपरैल	21.16		
				दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी लेंटर फर्श पक्का	14.26		
				शौचालय + बाथरूम	7.13		
30				निरंक	0.00	महेन्द्र पिता सुन्दर	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	63.71		
31	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता बगैरह	597	बृजलाल पिता नाथूराम वंश गोपाल पिता नाथूराम	दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर	14.26	निरंक	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	14.26		
32	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल पता सा देह भूमि स्वामी	597	नाथूराम पिता मोहन अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत भू-तल	14.26	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल	14.26		
				शौचालय	1.44		
33				निरंक	0.00	भगवानदास पिता नाथूराम	स्थाई निवास
34				निरंक	0.00	आशीष पिता नाथूराम	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	29.96		

35	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल पता सा देह भूमि स्वामी	597	बलराम पिता लीला अहिरवार	मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत भू-तल	31.5	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल सीमेंट सीट	31.5		
				दहलान दीवार पत्थर छत खपरैल	19.6		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	84.04		
36	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल पता सा देह भूमि स्वामी	598	लीला पिता रंजीत अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत भू-तल	42.24	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल	42.24		
				दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट	29.04		
				सौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	114.96		
37	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता बगैरह	598	अनंत लाल पिता लीला अहिरवार	मकान पक्का दीवार ईट छत सीमेंट सीट	18.24	निरंक	स्थाई निवास
				टपरा लकडी का छत टीन सेट	23.04		
				कुलयोग :-	41.28		
38	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता बगैरह	598	दीपक पिता लीला अहिरवार	मकान कच्चा छत खपरैल फर्श कच्चा टपरा	13.76	निरंक	गैर रहवासी मकान है
				कुलयोग :-	13.76		
39	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल पता सा देह भूमि स्वामी	598	अशोक पिता फुल्लै अहिरवार जमनाबाई बेवा फुल्लै	डबल मंजिल मकान दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत भू-तल	23.32	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल	23.32		
				दहलान कच्ची छत खपरैल	25.44		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	73.52		
40	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल पता सा देह भूमि स्वामी	598	रतिराम पिता फुल्लै अहिरवार	मकान पक्का छत फर्शी कंक्रीट	22.8	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल मकान दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत भू-तल	23.32		
				उपर की मंजिल खपरैल	23.32		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	70.88		

41	किशुन पिता भोपाल बगैरह	606	दामोदर पिता नंदराम पटेल	मकान पक्का छत गाटर फर्शी	16.45	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान लकडी के उपर टीन सेट	15.51		
				दहलान लकडी के उपर टीन सेट	10.81		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत जीक सीट	26.24		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	70.45		
42	किशुन पिता भोपाल बगैरह	606	भूपेन्द्र पिता मुन्ना काछी सुरेन्द्र पिता मुन्ना काछी	मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी कंकरीट फर्श कच्चा	39.60	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर छत टीन सेट	22.88		
				शौचालय छत सीमेट सीट	1.44		
				कुलयोग :-	63.92		
43	किशुन पिता भोपाल बगैरह	606	राजकुमार पिता दरयाव	मकान दीवार पत्थर की छत टीन सेट	57.60	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान छत बरसाती	9.80		
				कुलयोग :-	67.40		
44	किशुन पिता भोपाल बगैरह	606	भगवानदास पिता दरयाव काछी	मकान कच्चा दीवार पत्थर एक मंजिल छत खपरैल	56.88	निरंक	स्थाई निवास
				मकान दीवार पत्थर की कच्चा खपरैल	36.90		
				दहलान खपरैल	8.40		
				कुलयोग :-	102.18		
45	रगवर पिता भैयालाल काछी पता सा देह भूमि स्वामी	607	केशर पिता रघुबर कुशवाहा	डबल मंजिल मकान दीवार पत्थर की गाटर फर्शी	48.30	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल दीवार ईट की छत खपरैल	48.30		
				दहलान दीवार ईट की छत टीन फर्श पक्का शेड लोहे का गेट	82.80		
				गौशाला दीवार टीनशैड की छत टीन शेड	57.24		
				शौचालय	1.44		
46				निरंक	0.00	मनीषा पुत्री केशर	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	238.08		
47	रगवर पिता भैयालाल काछी पता सा देह भूमि स्वामी	607	काशीराम पिता रघुबर कुशवाहा	डबल मंजिल मकान दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल	27.72	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल	27.72		
48				निरंक	0	पवन पिता काशीराम	स्थाई निवास
49				निरंक	0	बसंती पिता काशीराम	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	55.44		

50	रगवर पिता भैयालाल काछी पता सा देह भूमि स्वामी	607	कल्याण पिता रघुबर कुशवाहा	डबल मंजिल मकान दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत	27.72	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल	27.72		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	22.05		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	78.93		
51*	रगवर पिता भैयालाल काछी पता सा देह भूमि स्वामी	607	कमलेशरानी बेबा पंचम कुशवाहा	डबल मंजिल मकान दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	9.02	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल	9.02		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड फर्श कच्चा	7.59		
				शौचालय पक्का	1.44		
				कुलयोग :-	27.07		
52	रगवर पिता भैयालाल काछी पता सा देह भूमि स्वामी	607	कलू पिता सुक्के कुशवाहा	मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल	15.54	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर छत खपरैल	16.28		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	33.26		
53	अमरसींग पिता नथू इमरती पुत्री नथू जगरानी बेबा नथू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	612	अमरसींग पिता नथू पटैल	मकान दीवार ईट छत खपरैल	21.24	निरंक	स्थाई निवास
				मकान दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा	76.00		
				गौशाला दीवार पत्थर छत टीनशीट	23.31		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	121.99		
54	शारदाबाई पुत्री शोभाराम पति रामसवक पता सा देह भूमि स्वामी	627/ 1690	राजेन्द्र पिता रामसेवक दुबे	डबल मंजिल दीवार पत्थर गाटर फर्शी मकान	23.40	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल खपरैल	23.40		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत	12.00		
				उपर की मंजिल खपरैल	12.00		
				सींगल दीवार पत्थर छत लेंटर आर.सी.सी.	35.99		
55				निरंक	0.00	सत्यम पिता राजेन्द्र	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	106.79		
56	खिलान पिता दमरू बगौरह	636	जमना प्रसाद पिता भरोसी अहिरवार	डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में फर्शी गाटर फर्श पक्का	25.20	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	25.20		
				कुलयोग :-	50.40		

57	खिलान पिता दमरू बगैरह	636	नन्नेभाई पिता भरोसी अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत भू-तल	26.13	निरंक	स्थाई
				उपर की मंजिल प्रथम तल	26.13		
				कुलयोग :-	52.26		
58	खिलान पिता दमरू बगैरह	636	राजरानी पति सेवक 1/2 विनोद पिता गंधर्व अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत	32.00	निरंक	अस्थाई निवास
				उपर की मंजिल प्रथम तल खपरैल	32.00		
				कुलयोग :-	64.00		
59	खिलान पिता दमरू बगैरह	636	राहुल पिता गंधर्व अहिरवार	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	33.39	निरंक	अस्थाई निवास
				उपर की मंजिल	33.39		
				दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी	12.00		
60				निरंक	0.00	विनोद पिता गंधर्व	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	78.78		
61	खिलान पिता दमरू बगैरह	636	धर्मेन्द्र पिता सेवक अहिरवार	सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	13.68	निरंक	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	13.68		
62	खिलान पिता दमरू बगैरह	636	राजेश पिता सेवक अहिरवार	सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	13.68	निरंक	स्थाई निवासी
				कुलयोग :-	13.68		
63	खिलान पिता दमरू बगैरह	638	पवन पिता फुंदिलाल अहिरवार	सिंगल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी	18.48	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच फर्शी गाटर उपर खपरैल भू-तल	19.74		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच फर्शी गाटर उपर खपरैल प्रथम तल दीवारों पर छाप नहीं है	19.74		
				शौचालय	1.44		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	60.84		
64	खिलान पिता दमरू बगैरह	638	नन्नेभाई पिता भरोसी अहिरवार	दहलान लकड़ी बरसाती	11.61	निरंक	स्थाई निवास
				दीवारों पत्थर की छत सीमेंट शीट	14.62		
				कुलयोग :-	26.23		
65	घसीटे पिता छुट्टी पता सा देह भूमि स्वामी	639/1	दीपेन्द्र पिता घसीटे अहिरवार	मकान दीवार ईट की उपर जीक सीट फर्श पक्का	24.90	निरंक	नहीं निर्माणाधीन मकान है
				कुलयोग :-	24.90		

66	घसीटे पिता छुट्टी पता सा देह भूमि स्वामी	639/1	घसीटे पिता छुट्टी अहिरवार	फाउण्डेशन मात्र	49.20	निरंक	नहीं
					कुलयोग :-	49.20	
67	मनोज पिता छुट्टी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	639/2	अनुराग पिता चिंतामन अहिरवार	दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर बिना कंक्रीट फर्श पक्का	21.96	निरंक	स्थाई निवास
					डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल भू-तल	25.62	
					उपर की मंजिल छत खपरैल प्रथम तल	25.62	
					दहलान दीवार ईट की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	21.35	
					नहानी दीवार ईट छत फर्शी	5.40	
					शौचालय छत फर्शी	1.44	
68				निरंक	0.00	रामरानी पति चिंतामन	स्थाई निवास
69				निरंक	0.00	यात्रा पुत्री चिंतामन	स्थाई निवास
					कुलयोग :-	101.39	
70	बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी	640	प्रदीप पिता बलराम यादव	मकान दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	22.68	निरंक	स्थाई निवास
					दहलान दीवार ईट की छत टीनशैड फर्श कच्चा	20.79	
					दहलान एक दीवार ईट की लोहे के पाइप पर छत टीनशैड	25.20	
					मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल + टीनसेट फर्श पक्का	25.20	
					शौचालय छत सीमेंट सीट	1.44	
					कुलयोग :-	95.31	
71	बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी	640	सुखसींग पिता भुजबल यादव	मकान दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	53.3	निरंक	स्थाई निवासी
					दहलान दीवार ईट लकड़ी के खम्बे पर छत टीनशैड	43.46	
					गैरिज दीवार ईट की छत टीनशैड	14.43	
					गौशाला दीवार पत्थर टीनशैड	10.80	
					दीवार पत्थर की छत खपरैल	19.35	
					मकान न0 250 में से नीचे की मंजिल दीवार पत्थर छत फर्शी	24.84	
					शौचालय सीमेंट सीट	1.44	
					कुलयोग :-	167.62	

72	बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी	640	शैलेन्द्र पिता सुखसींग यादव	डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में छत फर्शी गाटर फर्श पक्का भू-तल	16.81	निरंक	स्थाई निवासी
				उपर की मंजिल छत खपरैल प्रथम तल	16.81		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की पटमा लकड़ी का उपर खपरैल+फर्शी गाटर	29.24		
				उपर की मंजिल छत गाटर फर्शी	29.24		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर	22.1		
कुलयोग :-				114.20			
73	बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी	640	देवी पिता बलराम यादव	सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	16.81	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की पटमा लकड़ी का उपर खपरैल फर्श कच्चा	11.22		
				उपर की मंजिल	11.22		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	11.22		
कुलयोग :-				50.47			
74	बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी	640	संदीप पिता दिनेश यादव	सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर	16.81	निरंक	अस्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल	13.94		
				उपर की मंजिल खपरैल	13.94		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर	13.94		
				गौशाला दीवार पत्थर की उपर चादरें	25.84		
कुलयोग :-				84.47			
75	बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी	640	रामप्रसाद पिता भुजबल यादव	किराना दुकान दीवार पत्थर छत टीन शेड	17.20	निरंक	स्थाई निवासी
				सिंगल दीवार पत्थर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	12.80		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	16.80		
				उपर की मंजिल	16.80		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत टीनशेड	17.60		
				उपर की मंजिल	17.60		
				मकान दीवार पत्थर छत खपरैल	18.72		
				मकान न0 250 में से नीचे	24.84		

				की मंजिल दीवार पत्थर छत फर्शी			
				गौशाला दीवार पत्थर छत बरसाती फर्श कच्चा	20.46		
				कुलयोग :-	162.82		
76	बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी	640	अजबरानी पति दिनेश यादव	दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	8.64	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल मकान के उपर का हिस्सा दीवार पत्थर पटमा फर्शी छत खपरैल	49.68		
				मकान पक्का दीवार ईट छत आर.सी.सी. पक्का	35.28		
				पशुशाला कच्चा दीवार पत्थर की छत खपरैल	23.04		
				पशुशाला कच्चा दीवार पत्थर की छत टीनशेड पक्का शौचालय	23.04		
					1.44		
				कुलयोग :-	141.12		
77	बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी	640	बलराम पिता भुजबल यादव	सिंगल दीवार पत्थर उपर फर्शी गाटर	12.00	निरंक	स्थाई निवासी
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	22.00		
				उपर की मंजिल	22.00		
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत फर्शी गाटर	8.64		
				उपर की मंजिल	8.64		
				कुलयोग :-	56.00		
78.	नथू वल्द मांगू पता सा देह भूमि स्वामी	672	लक्ष्मण पिता नाथूराम सेन	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	63.14	निरंक	स्थाई निवास
				बाउडीवाल दीवार पत्थर की	48.00		
				कुलयोग :-	111.14		
79	नथू वल्द मांगू पता सा देह भूमि स्वामी	672	गफ्फु पिता दम्मा सेन	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	30.10	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल	30.10		
				सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	17.50		
80				निरंक	0.00	भूपेन्द्र पिता गफ्फु	स्थाई निवास
				कुलयोग :-	77.70		

81	नथू वल्द मांगू पता सा देह भूमि स्वामी	672	हरगोविन्द पिता शंकर सेन	दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	21.6	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल	33.84		
				उपर की मंजिल खपरैल	33.84		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शोड फर्श कच्चा	20.16		
				झोपडी दीवार लकड़ी छत घास-फूस	13.6		
				कुलयोग :-	123.04		
82	नथू वल्द मांगू पता सा देह भूमि स्वामी	672	वीरसींग पिता नन्दलाल सेन	दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी गाटर बिना कंक्रीट फर्श पक्का	14.00	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	25.76		
				उपर की मंजिल	25.76		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर बिना कंक्रीट फर्श पक्का	16.80		
				कुलयोग :-	82.32		
83	गण्णू पूरन शंकर पिस. दम्मा तेजाबाई बेवा दम्मा शांतिबाई पुत्री दम्मा नथू नंदलाल पिस. मांगू पता सा.देह भूमि स्वामी	676	पण्णू पिता धनीराम सेन	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	25.30	निरंक	अस्थाई निवास (दस्तावेज पेश न करने से अस्थाई माना गया)
				उपर की मंजिल	25.30		
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनशैड फर्श कच्चा	16.50		
				कुलयोग :-	67.10		
84	गण्णू पूरन शंकर पिस. दम्मा तेजाबाई बेवा दम्मा शांतिबाई पुत्री दम्मा नथू नंदलाल पिस. मांगू पता सा.देह भूमि स्वामी	676	रामप्रसाद पिता नंदलाल सेन	गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	26.46	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	39.76		
				उपर की मंजिल	39.76		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	7.84		
				कुलयोग :-	113.82		
85	गण्णू पूरन शंकर पिस. दम्मा तेजाबाई बेवा दम्मा शांतिबाई पुत्री दम्मा नथू नंदलाल पिस. मांगू पता सा.देह भूमि स्वामी	676	नाथूराम पिता मांगूलाल सेन	गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	21.12	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा	68.60		
				उपर की मंजिल	68.60		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर बिना कंक्रीट	17.50		

				दहलान लकडी के उपर खपरैल	9.80		
				कुलयोग :-	185.62		
86	गप्पू पूरन शंकर पिस. दम्मा तेजाबाई बेवा दम्मा शांतिबाई पुत्री दम्मा नथू नंदलाल पिस. मांगू पता सा.देह भूमि स्वामी	676	नंदलाल पिता मांगूलाल सेन	दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर बिना कंक्रीट फर्श पक्का	25.8	निरंक	स्थाई निवास
				डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा	81.70		
				उपर की मंजिल	81.70		
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	39.90		
				शौचालय	1.44		
				कुलयोग :-	230.54		
87	गप्पू पूरन शंकर पिस. दम्मा तेजाबाई बेवा दम्मा शांतिबाई पुत्री दम्मा नथू नंदलाल पिस. मांगू पता सा.देह भूमि स्वामी	676	आशाराम पिता नाथूराम सेन	मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	23.4	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत टीनशैड फर्श कच्चा	20.59		
				मकान दीवार ईट की छत टीन शैड फर्श पक्का	37.80		
				नाहानी +शौचालय छत सीमेंट सीट	10.4		
				कुलयोग :-	92.19		
88	गप्पू पूरन शंकर पिस. दम्मा बगैरह	676	हरिनारायण पिता नंदलाल सेन	मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	44.4	निरंक	स्थाई निवास
				दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा	10.20		
				गौशाला दीवार पत्थर की छत घास-फूस बरसाती	13.92		
				कुलयोग :-	68.52		
89	नथू वल्द मांगू पता सा देह भूमि स्वामी	677	रामकिशन पिता नाथूराम सेन	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा	18.53	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल	18.53		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	15.20		
				दीवार पत्थर की बाउडीवाल	17.70		
				कुलयोग :-	69.95		
90	नथू वल्द मांगू पता सा देह भूमि स्वामी	677	रामलाल पिता नाथूराम	डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा	18.53	निरंक	स्थाई निवास
				उपर की मंजिल	18.53		
				दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का	15.20		

				दीवार पत्थर की बाउडीवाल	17.70		
				कुलयोग :-	69.95		
91	राकेश चमनलाल पिता द्वारका बगैरह	1449	रविशंकर पिता नर्मदा प्रसाद चौबे	पी.एम. आवास आर.सी.सी. शौचालय पक्का जीक सीट	29.12 1.44	निरंक	स्थाई
				कुलयोग :-	30.56		
92	कमोदसींग पिता भूजबलसींग पता सा बेसली भूमि स्वामी	1475	कम्मोदसींग पिता भुजवलसींग	डबल मंजिल मकान दीवार पत्थर की बीच में फर्शी उपर खपरैल उपर की मंजिल	67.68 67.68	निरंक	नहीं
				दहलान दीवार पत्थर छत फर्शी गाटर	40.89		
				कुलयोग :-	176.25		
93	नरेन्द्र ना. वा. वल्द पालक गजराज पता सा देह भूमि स्वामी	393	नरेन्द्र पिता गजराज	टपरा दीवार पत्थर की छत बरसाती	28.70	निरंक	अस्थाई है निवास योग्य नहीं है
				कुलयोग :-	28.70		
94	अमरसींग पिता नथू बगैरह	481/ 2	अमरसींग पिता नथू	दीवार पत्थर की छत बरसाती	17.04	निरंक	जीर्णक्षीर्ण है छत नहीं है।
				कुलयोग :-	17.04		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुम्ब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुम्ब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या

- (ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
 (ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
 - (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
 - (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
 - (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
 - (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
 - (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टॉप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
 - (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
 - (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।
- 3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्च पर निम्नलिखित अवसरचक्रनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सकें और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
 - (2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
 - (3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
 - (4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
 - (5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
 - (6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
 - (7) यथेचित पंचायत घर

- (8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (21) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकबा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 में खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. में से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ/19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
- (22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।
- 4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिए प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 15/03/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकार के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश,
शासन राजस्व विभाग

क्र.-1662-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 20 फरवरी 2023

क्रमांक/1662 / भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक (3)/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्तवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम धामघोर		तहसील नरसिंहगढ़
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
1	2	3
निजी	भूमि	3.509

अनुसूची(2)

स.क्र.	भरवामी का नाम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	रामनाथ सिंह पिता गोस्वधनसिंह राजपूत रकबा 1.265 धापू बाई पति रामसिंह जाति दांगी रकबा 0.506	171/2	1.771	0.900
2	शंभेराम पिता रंगलाल जाति दांगी	171/1/2	0.506	0.030
		171/1/3/1	0.013	0.004
		174/1/1	0.632	0.100
3	विष्णुप्रसाद पिता रंगलाल दांगी	171/1/3/2	0.783	0.640
4	देवचन्द्र राजाराम, सीरमबाई, कैलाश पिता किशनलाल मुकेश पिता ईमरतलाल प्रेमबाई बेवा ईमरतलाल जाति चमार	193/5	1.000	0.085
5	प्रभुलाल पिता मांगीलाल दरयाव पति प्रभुलाल जाति चमार	195/6	0.759	0.100
6	देवचन्द्र पिता किशना, राजाराम पिता किशना, कैलाशनारायण पिता किशना सीरमबाई पुत्री किशना, मुकेश पिता ईमरतलाल, रामबाबू पिता इमरतलाल प्रेमबाई बेवा ईमरतलाल जाति चमार	195/2	0.506	0.150
7	देवचन्द्र पिता चैन्या जाति चमार	195/3	0.253	0.180
8	बदीलाल पिता प्रभुलाल जाति तेली	196/2	3.807	1.320
	योग	10	10.030	3.509

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1664-भू-अर्जन-2023

क्रमांक/01/82-भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 14 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वतर्त्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(7) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम तुर्कीपुरा नरसिंहगढ़		तहसील
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
1	2	3
निजी	भूमि	7.834

अनुसूची(2)

स०क्र०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	5
1	मूलचन्द्र पिता हरलाल ,ज्ञानसिंह ,ओमप्रकाश , संतोष कुमार पिता बाबूलाल , फूलवति बाई बेवा बाबूलाल रमेश कुमार रूगनाथ पिता हरलाल जाति चमार निवासी गीलाखेडी	216/13	0.632	0.140

2	सम्पतबाई बेवा प्रभुलाल गंगाराम दयाराम रूकमणीबाई पिता प्रभुलाल जाति चमार निवासी तुर्कीपुरा	216/12/1	0.379	0.175
3	जुगराजसिंह पिता गोपालसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	216/12/2	0.253	0.253
4	मूलचन्द्र पिता हरलाल ,ज्ञानसिंह ,ओमप्रकाश , संतोष कुमार पिता बाबूलाल , फूलवति बाई बेवा बाबूलाल रमेश कुमार रूगनाथ पिता हरलाल जाति चमार निवासी गीलाखेडी	216/11	0.632	0.570
5	हेमन्त अग्रवाल पिता मोहनलाल जाति महाजन निवासी कुरावर	216/10	0.632	0.340
		216/6	1.278	0.150
6	राजलबाई पिता मूलचन्द्र जाति चमार निवासी गीलाखेडी	217/15/1	0.488	0.300
7	श्यामलाल पिता लटूर रामबाबू अभिषेक पिता श्यामलाल ,वर्षा न.ब. पिता श्यामलाल सरंक्षक श्यामलाल जाति चमार	217/1/2	0.633	0.432
8	रसीदखा पिता मुन्शीरखा जाति मुसलमान निवासी पीलूखेडी	239/1	0.613	0.100
9	मंगलसिंह पिता कनीराम जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	239/2	0.612	0.612
		238	0.025	0.015
10	प्रेमसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	240/2	1.012	0.100
11	चनारसिंह पिता बनेसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	236	1.379	0.150
		234	0.772	0.060
12	धापूबाई पत्नि मोडसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	235/1/1	0.228	0.208
		231	0.375	0.375
		232/2/2	0.182	0.090
13	मोडसिंह पिता माघोसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	241/2	0.911	0.050

14	कमलाबाई पत्नि गजराजसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	245/1	0.607	0.487
15	मानोबाई पत्नि गोपाल सिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	235/1/2	0.165	0.165
		235/2	0.062	0.062
		245/2	0.595	0.505
		232/2/1/2	0.087	0.087
16	दीवानसिंह पिता हरीसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	232/2/1/1	0.096	0.096
17	सूरजसिंह पिता धनसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	229/2	0.253	0.090
18	गजराजसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	230/2	1.265	0.965
19	रामसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	230/3/1	0.283	0.180
		198/1/1	0.125	0.125
		199/2/1	0.051	0.051
20	लखनसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	230/3/2	0.223	0.185
		198/2/1	0.126	0.126
		199/2/2	0.050	0.050
21	केसरसिंह पिता खेमचन्द्र जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा	199/1/1	1.141	0.160
		253/1/1	0.319	0.170
22	गोरेलाल पिता नाथूलाल जाति बंजारा निवासी पीलूखेडी	253/2/1	0.446	0.210
	योग	35	16.930	7.834

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1801-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 23 फरवरी 2023

क्रमांक/23/02/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 84/प्रभू कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्तयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- बडोदिया तालाब		तहसील नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	24.253	-	24.253

अनुसूची(2)

स०क्र०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	दिग्विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह, बनेसिंह, बतवारी, पिता जयनारायण देशवाली	55/1	2.390	0.490	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि

2	दिग्विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह, बनेसिंह, बनवारी पिता जयनारायण देशवाली	55/2/1	1.265	0.240	
3	दिग्विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह, बनेसिंह, बनवारी पिता जयनारायण देशवाली	55/2/2	0.367	0.120	
4	नारायणसिंह पिता मांगीलाल देशवाली	56	1.619	0.370	
5	सोदानसिंह पिता माधूसिंह जाति नट	57	2.782	0.790	
6	रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	59/1	0.556	0.250	
7	मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत	59/2	0.557	0.190	
8	मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत	60	1.265	0.220	
9	पृथ्वीराजसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत	61/1	2.137	1.100	
10	नवीनराजसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत	61/2	1.100	0.630	
11	रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	65/2	0.258	0.060	
12	देवेन्द्रप्रतापसिंह, नरेन्द्रप्रतापसिंह, हरेन्द्रप्रतापसिंह, दीपेन्द्रप्रतापसिंह पिता मदरूपसिंह राजपूत	65/1	3.865	0.515	
13	मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	66/2	0.164	0.164	
14	मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	66/3	0.025	0.025	
15	मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत	996/1	0.133	0.133	
16	रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	996/2	0.133	0.133	
17	कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी	1025	0.202	0.160	

18	कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी	1028/1	0.069	0.069	
19	कैलाश पिता मदनलाल काछी	1028/2	0.993	0.015	
20	नरेन्द्रपतापसिंह पिता मदरूपसिंह राजपूत	67/4/1	1.088	0.070	
21	रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	67/3/1	0.551	0.075	
22	मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत	67/3/2	0.550	0.020	
23	कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी	1029/2/1	0.164	0.164	
24	कैलाश पिता मदनलाल काछी	1029/2/2	0.165	0.120	
25	कैलाशचन्द्र पिता गंगाप्रसाद महाजन	1029/1/1	0.759	0.250	
26	रुकमणीबाई बेवा गंगाप्रसाद महाजन	1029/1/2	1.518	0.330	
27	सुमनबाई बेवा मोतीलाल अनिल, आशाबाई, उषाबाई पिता मोतीलाल, गोकलबाई, गुलाबबाई पिता रामचरण, मांगीलाल पिता रणजीत, मांगीलाल पिता रणजीत, दरयावबाई, भागवती बाई, समरत बाई पुत्री रणजीत अनिल पिता मोतीलाल, सुमनबाई बेवा मोतीलाल, जमनाप्रसाद, रामकिशन पिता चैनसिंह जाति खाती, भूपेन्द्र पिता काशीराम, जाति अहिर, शिवलाल पिता रामचरण जाति बलाई	991/1	0.323	0.125	
28	कृष्णा बाई मानकुंवर बाई पुत्री बंशीलाल जाति खाती	991/2	0.107	0.039	
29	कृष्णाबाई, मानकुंवरबाई पिता बंशीलाल खाती	986	1.252	0.110	
30	कृष्णाबाई, मानकुंवरबाई पिता बंशीलाल खाती	987	0.342	0.200	
31	भंवरलाल पिता घीसा खाती	988	0.177	0.050	
32	दिनेश, मनोहर पिता बैजनाथ, कौशल्याबाई बेवा बैजनाथ खाती	989/4	0.152	0.152	
33	दरियावसिंह पिता घीसा खाती	989/5	0.050	0.050	
34	भंवरलाल पिता घीसा खाती	989/6	0.127	0.127	

35	राधेश्याम , जगदीश प्रसाद मोहनलाल ,पिता जयनारायण जाति खाती	951	0.316	0.065	
36	राधेश्याम , जगदीश प्रसाद मोहनलाल ,पिता जयनारायण जाति खाती	952	0.569	0.015	
37	राधेश्याम , जगदीश, मोहनलाल,पिता जयनारायण खाती	954	0.190	0.080	
38	दरियाव पिता घीसालाल खाती	955	0.253	0.035	
39	सौबक्ष पिता रुगनाथ खाती	956	0.051	0.035	
40	राधेश्याम , जगदीश, मोहनलाल पिता जयनारायण खाती	957/2	0.341	0.320	
41	दरियावसिंह पिता घीसालाल खाती	957/1	0.051	0.051	
42	जगन्नाथ पिता नंदराम खाती	958	0.152	0.152	
43	कौशल्याबाई पिता शिवनारायण खाती	959/1	0.076	0.076	
44	कांताबाई पिता शिवनारायण खाती	959/2	0.076	0.076	
45	शिवनारायण पिता अमरसिंह खाती, सुंदरबाई बेवा ईसर, पून्याबाई बेवा गणपत	960	0.342	0.090	
46	कौशल्याबाई पिता शिवनारायण खाती	950/1	0.276	0.180	
47	कांताबाई पिता शिवनारायण खाती	950/2	0.276	0.180	
48	समंदरबाई पिता शिवनारायण खाती	950/3	0.460	0.360	
49	कालूराम पिता सौबक्ष खाती	944/1	0.037	0.037	
50	गंगाधर पिता शिवनारायण खाती	945/1	0.050	0.050	
51	गंगाधर, श्रीलाल, सौरमबाई, चंदाबाई पिता शिवनारायण, जगन्नाथ, बैजनाथ पिता मुन्नालाल, कालूराम पिता सौबक्ष खाती	945/2	0.083	0.060	
52	रामेश्वर, प्रेमनारायण, पिता जगन्नाथ कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती	945/3	0.095	0.018	
53	कालूराम पिता सौबक्ष खाती	936/1	0.487	0.260	
54	श्रीलाल पिता शिवनारायण खाती	936/2	0.170	0.130	

55	रामेश्वर, प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती	936/3	0.190	0.140	
56	केसरबाई पति श्रीलाल खाती	936/4/1	0.506	0.300	
57	केसरबाई पति श्रीलाल खाती	936/4/2	0.064	0.050	
58	केसरबाई पति श्रीलाल खाती	937	0.038	0.038	
59	केसरबाई पति श्रीलाल खाती	938/1	0.150	0.050	
60	रामेश्वर, प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती	938/2	0.040	0.018	
61	कालूराम पिता सौबक्ष खाती	939/2	0.252	0.140	
62	रामेश्वर, प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती	939/3	0.100	0.050	
63	श्रीलाल पिता शिवनारायण खाती	939/4	0.100	0.100	
64	गंगाधर पिता शिवनारायण खाती	939/5	0.100	0.050	
65	घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	932	0.658	0.280	
66	घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	931	0.101	0.091	
67	घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	930	0.139	0.070	
68	कैलाशनारायण पिता कालूराम खाती	920	0.607	0.145	
69	घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	921	0.481	0.481	
70	घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	924	1.328	0.400	
71	विठ्ठलप्रसाद पिता शिवनारायण खाती	922	0.063	0.032	
72	घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव	923	0.291	0.220	
73	यशोदा बाई पति मांगीलाल जाति खाती	585	0.253	0.190	
74	घीसीबाई बेवा मदन, लक्ष्मीनारायण दत्तक पिता मदन चमार	264/1	0.158	0.120	
75	सजनबाई बेवा सिद्धलाल जगदीश, मुकेश, राकेश, राजू, सुमित, दीपक पिता सिद्धलाल कविता पुत्री सिद्धलाल, बद्रीलाल, जगन्नाथ पिता, रामा, हि. 87 पैसे, पुनमचंद पिता रामा, हरकूबाई बेवा रामा हि. 13 पैसे चमार	264/2	0.158	0.158	
76	रूपाबाई बेवा आसाराम चमार	264/3	0.101	0.101	
77	मांगीलाल पिता चुन्नीलाल खाती	266	0.240	0.220	
78	रेणुबाई पति महेशबाबू, पूजा, अंकित पिता महेशबाबू, मोतीलाल पिता हीरालाल, रामेश्वर पिता हीरालाल खाती	265/1	0.108	0.060	
79	मांगीलाल पिता घीसालाल खाती	269/1	0.215	0.030	
80	गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सोदराबाई पिता गंगाधर चमार	267/1/1	0.041	0.041	
81	मूल्याबाई बेवा खेमचंद, हरि, किशन पिता खेमचंद चमार	267/1/2	0.041	0.041	
82	रूपाबाई बेवा आसाराम चमार	267/2	0.057	0.057	

107	दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद बिंद्रीबाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती	279	0.266	0.090
108	भगवतीबाई बेवा शंकरलाल खाती	280	0.291	0.060
109	मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल खाती	281	0.240	0.005
110	गप्पूलाल पिता नाथू खाती	290/1	0.069	0.005
111	कांताप्रसाद पिता प्रमूलाल, तारीबाई बेवा प्रमूलाल खाती	290/2	0.070	0.035
112	ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती	287	0.051	0.051
113	ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती	288	0.051	0.051
114	रमेश पिता भंवरलाल खाती	289/1	0.021	0.021
115	बद्रीलाल पिता पन्नालाल खाती	289/2	0.021	0.021
116	आशा बेवा जगदीश, रोशन, आनंद पिता जगदीश खाती	289/3	0.021	0.021
117	प्रेमनारायण पिता भंवरलाल खाती	291	0.291	0.221
118	ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती	282	0.278	0.100
119	ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती	286/1	0.063	0.063
120	दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिंदरीबाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती	286/2	0.051	0.051
121	श्यामबाबू पुरुषोत्तम पिता मोतीलाल, बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती	285/1	0.089	0.085
122	ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती	285/2	0.012	0.012
123	लक्ष्मीनारायण, रामबाबू पिता शंकरलाल खाती	284/1	0.080	0.070
124	गप्पूलाल पिता नाथू खाती	284/2	0.080	0.075
125	कांताप्रसाद पिता प्रमूलाल, तारीबाई बेवा प्रमूलाल खाती	284/3	0.080	0.080
126	श्यामबाबू पुरुषोत्तम पिता मोतीलाल, बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती	576/1	2.149	0.010
127	गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती	306/2/1	0.143	0.100
128	लखनलाल पिता रामचरण खाती	306/2/2	0.142	0.122
129	मुकेशकुमार पिता दयाराम, मथरीबाई बेवा दयाराम खाती	305	0.101	0.005
130	हीरालाल पिता बालकिशन खाती	408/2/1	0.158	0.100
131	राधेश्याम पिता बालकिशन खाती	408/2/2	0.158	0.100
132	शांतिबाई, भंवरीबाई पुत्री हीरालाल खाती	409/1	0.158	0.015
133	गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती	409/2/1	0.079	0.075
134	लखनलाल पिता रामचरण खाती	409/2/2	0.079	0.079
135	श्यामबाबू पुरुषोत्तम पिता मोतीलाल, बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती	410	0.266	0.226

83	रुगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	268/1	0.053	0.053	
84	भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	268/2	0.054	0.054	
85	अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना, अंजली, चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत	268/3	0.054	0.054	
86	रामकुंवरबाई पुत्री देवीसिंह राजपूत	268/4	0.054	0.054	
87	गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौदराबाई पिता गंगाधर चमार	263/1	0.098	0.010	
88	मूल्याबाई बेवा खेमचंद, हरि, किशन, पिता खेमचंद चमार	263/2	0.098	0.015	
89	गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौदराबाई पिता गंगाधर चमार	263/3	0.098	0.020	
90	मूल्याबाई बेवा खेमचंद, हरि, किशन पिता खेमचंद चमार	263/4	0.098	0.025	
91	रुगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	262/1	0.092	0.075	
92	भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	262/2	0.091	0.060	
93	अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना, अंजली, चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत	262/3	0.092	0.046	
94	रामकुंवरबाई पिता देवीसिंह राजपूत	262/4	0.092	0.025	
95	रुगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	273/1	0.050	0.050	
96	भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत	273/2	0.051	0.046	
97	अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना, अंजली, चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत	273/3	0.050	0.030	
98	रामकुंवरबाई पिता देवीसिंह राजपूत	273/4	0.051	0.021	
99	रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती	274	0.253	0.253	
100	मांगीलाल पिता बक्षु खाती	272/1	0.202	0.005	
101	सीताबाई पति कालूराम खाती	278/1	0.246	0.230	
102	गण्पूलाल पिता नाथू खाती	278/2	0.247	0.155	
103	आशा, बेवा जगदीश, रोशन, आनंद पिता जगदीश खाती	275/1	0.093	0.025	
104	रमेश पिता भंवरलाल खाती	275/2	0.185	0.050	
105	मोतीलाल पिता दरियावसिंह, मांगीलाल, धूलजी, रामनारायण पिता बक्षु, शिवचरण, प्रेमनारायण, रमेश, गोविन्द, जमनाप्रसाद पिता भंवरलाल, राजलबाई, कृष्णाबाई पुत्री भंवरलाल, शिवनारायण, रामप्रसाद पिता बिहारी खाती	277	0.063	0.063	
106	मोतीलाल पिता दरियावसिंह, मांगीलाल, धूलजी, रामनारायण पिता बक्षु, शिवचरण, प्रेमनारायण, रमेश, गोविन्द, जमनाप्रसाद पिता भंवरलाल, राजलबाई, कृष्णाबाई पुत्री भंवरलाल, शिवनारायण, रामप्रसाद पिता बिहारी खाती	276	0.253	0.203	

136	ओमप्रकाश पिता रामनारायण, मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल, अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती	411	0.367	0.210	
137	राधेश्याम पिता हीरालाल खाती	415/1	0.045	0.015	
138	कैलाश पिता हीरालाल खाती	415/2	0.044	0.015	
139	दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीश प्रसाद खाती	414	0.152	0.080	
140	ओमप्रकाश पिता रामनारायण, मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल, अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती	413	0.038	0.030	
141	मुकेशकुमार पिता दयाराम, मथरीबाई बेवा दयाराम खाती	412	0.101	0.090	
142	कैलाश पिता हीरालाल खाती	416/2	0.095	0.035	
143	गम्भूलाल पिता नाथू खाती	427/1	0.050	0.050	
144	कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल, तारीबाई बेवा प्रभूलाल खाती	427/3	0.388	0.020	
145	बालाबगस पिता बल्देव खाती	418	0.177	0.060	
146	गम्भूलाल पिता नाथू खाती	426/1	0.338	0.190	
147	रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती	425	1.417	0.530	
148	बालाबगस पिता बल्देव खाती	424	1.467	0.780	
149	उमरावसिंह पिता बल्देव खाती	431	1.252	0.180	
150	राधेश्याम पिता हीरालाल जाति खाती	443/1	0.626	0.040	
151	कैलाश पिता हीरालाल खाती	443/2	0.626	0.030	
152	दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती	444	1.429	0.010	
153	दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती	445	0.936	0.800	
154	ओमप्रकाश पिता रामनारायण, मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल, अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती	449/2	0.700	0.620	
155	अशोककुमार पिता प्रेमनारायण कायस्थ	449/1/2/1/1	0.625	0.080	
156	अशोककुमार पिता प्रेमनारायण कायस्थ	450/2/2/1/1	0.050	0.020	
157	ओमप्रकाश पिता रामनारायण, मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल, अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती	450/1	0.059	0.032	
158	अयोध्याबाई पत्नि मांगीलाल खाती	451/2	0.626	0.253	
159	धूलजी पिता बक्षू खाती	452/1/1	0.594	0.050	
160	धापूबाई बेवा भंवरलाल, रामबाबू हिरदेश पिता भंवरलाल, धापूबाई बेवा भंवरलाल बलाई	395/1/7	0.506	0.320	

161	गोविंदां पिता प्रभूलाल, ताराबाई-बेवा गोविन्दा बलाई	395/1/8	0.506	0.140	
162	विजयसिंह, रामबाबू, लक्ष्मीचंद पिता भंवरलाल, काशीबाई बेवा भंवरलाल, सुशीलाबाई पुत्री भंवरलाल दांगी	395/3/1	1.202	0.320	
163	बैजनाथ पिता कनीराम, सुगनबाई पुत्री कनीराम, राधेश्याम पिता मदनलाल सेरिया	395/1/15	0.778	0.253	
164	रमेश पिता पूनमचंद, सौरभबाई पति-रमेश सेरिया	395/1/16	0.778	0.550	
165	रंजीत पिता प्रहलाद, छमाबाई पत्नि रंजीत सेरिया	395/1/18	0.778	0.035	
166	प्रेम, चंदा, कृष्णा पिता भंवरलाल पारदी	395/1/17	0.777	0.005	
167	प्रेमनारायण, पर्वत पिता किशनलाल नट	483/1	0.873	0.210	
168	बापूलाल, जगन्नाथ पिता मांगीलाल, सावित्री पुत्री मांगीलाल चमार	483/2	0.632	0.090	
169	मांगीलाल, कोशल्याबाई, रेशमबाई, लीलाबाई पिता जगन्नाथ सेरिया	483/3	1.265	0.520	
170	घनश्याम, गोपाल पिता मुंशीलाल जाति नाई	483/4	1.265	0.050	
171	प्रमिलासिंह पति रघुवीरसिंह राजपूत	997/1	0.101	0.040	
172	पुष्पा बेवा दिनेश, मोहित पिता दिनेश महाजन	997/2	0.531	0.050	
173	प्रमिलासिंह पति रघुवीरसिंह राजपूत	998/2/1/1	1.417	0.100	
174	पुष्पा बेवा दिनेश, मोहित पिता दिनेश महाजन	998/2/1/2	0.228	0.050	
175	दिनेशकुमार, गोविन्द, सतीश-पिता शिवनारायण, जानकी बाई बेवा शिवनारायण ब्राह्मण	998/2/1/3	0.373	0.080	
176	मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत	998/2/2	0.379	0.150	
	महायोग	किता 176	71.003	24.253	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1803-भू-अर्जन-2023

क्रमांक/13/02/भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण: क्रमांक 09/23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम :- लसूहल्यारामनाथ		तहसील नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	23.053	-	23.053

अनुसूची(2)

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	विवरण
1		3	4	5	6
1	रामसिंह रूपसिंह पिता प्रमूलाल , मनीषा पिता रामकिशन भूरीबाई नाबा पिता रामकिशन सर प काका रामसिंह पिता प्रमूलाल मु जानकी बाई बेवा प्रमूलाल जाति देशवाली	249/1	0.835	0.680	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	लाडकुवर पति प्रहलाद सिंह जाति राजपूत	249/2/1	0.456	0.253	

3	राजाराम पिता मांगीलाल जाति गाडरी	249/2/2	0.379	0.055	
4	भोलाराम पिता बन्शीलाल जाति बसोड	248/1/1/17	0.045	0.045	
5	विक्रमसिंह पिता शिवनारायण जाति खाती	250/1/1	1.151	0.080	
6	मोंगीलाल पिता दरयाव जाति खाती हि.1/8, रमेश पिता दरयाव जाति खाती हि.1/8 भवरीबाई बेवा दरियाव हि.1/8, पन्नालाल पिता हजारी हि.1/8 बापूलाल पिता हजारी हि.1/8, मु. समरतबाई देवा रूगनाथ जाति खाती हि.1/8, मनोज पिता रूगनाथ जाति हि.1/8, धनश्याम पिता रूगनाथ हि.1/8 जाति खाती	250/2/1	1.151	0.790	
		250/2/2	0.383	0.100	
7	सुरजबाई पत्नी मांगीलाल जाति चमार	248/1/1/6	0.632	0.250	
8	रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति चमार	248/1/1/26	0.581	0.360	
9	हरि पिता मांगीलाल, भगवती बाई पति हरि जाति चमार	248/1/1/2	0.632	0.045	
10	रामप्रसाद पिता गिरधारी जाति चमार	248/1/1/25	0.581	0.455	
11	कनौराम पिता गिरधारी जाति चमार	248/1/1/24	0.581	0.581	
12	कल्लू पिता मदन जाति भरगुन्डा	248/1/1/12/2	0.632	0.632	
13	बलदेव पिता चन्द्रसिंह जाति घोसी	253/2	1.740	0.055	
14	हरि पिता मेहताब जाति चमार	268/2	1.045	0.330	
15	भगवानसिंह पिता रामसिंह जाति चमार	268/3	1.046	0.240	
16	हरिबक्स पिता मुन्नालाल जाति चमार	268/4	1.028	0.720	
17	पवनकुमार पिता कैलाशचन्द्र जाति महाजन	269/3/1	0.506	0.380	

18	सुनीलकुमार पिता शिवनारायण जाति ब्राह्मण	269/3/2	0.506	0.331	
19	ज्ञानसिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी हि.1/3 भाग, गम्भीर सिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी हि. 1/3 भाग, कलाबाई पिता माधोसिंह जाति घोसी हि.1/3 भाग	269/1/1	0.606	0.105	
20	तारादेवी पति सूर्यपालसिंह भदोरिया जाति राजपूत	273/1/2	0.658	0.160	
21	धनसिंह पिता किशनलाल जाति घोसी	274/2/2	0.442	0.240	
22	जगदीश पिता नारायण सिंह जाति घोसी	391/1/1	0.249	0.195	
		391/1/4	0.430	0.115	
23	देवकरण पिता छीता जाति घोसी	391/2	0.259	0.110	
		391/1/3	0.101	0.060	
24	नारान सिंह पिता छीता जाति घोसी	392/2	0.215	0.160	
		390/2	0.380	0.253	
		391/1/2	0.328	0.250	
		391/3	0.175	0.125	
25	मुकेश पिता देवकरण जाति घोसी	390/1	0.379	0.060	
26	लाडसिंह पिता मोहनलाल जाति घोसी	389/1	0.367	0.260	
27	काशीराम पिता गंगाधर जाति घोसी	389/2/1	0.183	0.138	
28	धापूबाई बेवा करण सिंह जाति घोसी हि.1/4 भाग, मंगलसिंह पिता करणसिंह जाति घोसी हि. 1/4 भाग, जगदीशप्रसाद पिता करणसिंह जाति घोसी हि.1/4 भाग, सचीनकुमार पिता करणसिंह जाति घोसी हि.1/4 भाग	389/2/2	0.184	0.114	
29	नरबदसिंह पिता हजारीलाल जाति घोसी हि.1/2 भाग, भवरीबाई बेवा हजारीलाल जाति घोसी हि. 1/2 भाग	389/3	0.367	0.340	
30	देवकरण राकेश पिता उम्मेदसिंह, धापूबाई बेवा उम्मेदसिंह जाति घोसी	772/1	0.295	0.020	

31	बीरबलसिंह पिता जगन्नाथ जाति घोसी	772/2	0.148	0.055	
32	राकेश पिता नरबदसिंह, सुगनबाई पुत्री नरबदसिंह मु. शाताबाई बेवा नरबद सिंह केसरसिंह पिता रामप्रसाद जाति घोसी	366	0.468	0.110	
		367/2	0.097	0.035	
33	निर्मला बेवा ओमप्रकाश ,तरुण, राहुल, रानी पिता ओमप्रकाश जाति महाजन	367/1/2	0.291	0.100	
		365/2	0.215	0.190	
34	जुगराज सिंह पिता गोपालसिंह घोसी 127/190 भाग, हरिनारायण पिता बंशीलाल जाटव 8/190 भाग, तेजसिंह पिता लाखन सिंह गुर्जर 7/190 भाग, मुकूट कुमार नागर पिता बद्रीलाल नागर जाति धाकड 8/190 भाग रामदयाल पिता अमरसिंह गुर्जर 19/190 भाग, गीताबाई पत्नी दशरथ सिंह गुर्जर 09/190 भाग, रमादेवी पति जबर सिंह जाति गुर्जर 12/190 भाग	365/1/2	0.190	0.040	
35	भगवान सिंह पिता रूगनाथ सिंह जाति घोसी	367/1/1	0.533	0.200	
36	कमलसिंह गणेशराम पिता बंशीलाल जाति घोसी	532/1	0.253	0.120	
		533/1	0.285	0.065	
37	रमेश पिता थानसिंह रामकुवरबाई बेवा थानसिंह जाति घोसी	532/2	0.342	0.050	
		533/2	0.676	0.240	
38	निर्मलाबाई पिता मिश्रीलाल जाति कायस्थ	523	0.506	0.256	
39	सत्यनारायण पिता भेरुवक्ष जाति कायस्थ	521	2.504	1.165	
		524	0.506	0.451	
		525	1.303	0.120	
		526/1	0.152	0.082	
		526/2	0.139	0.045	
		546	0.342	0.070	

40	सुन्दरलाल पिता किशनलाल जाति बलाई	547/1	0.460	0.355
		548/1	0.139	0.139
		550/1	0.215	0.215
		552/1/1	0.032	0.032
		551/1/1	0.386	0.361
41	पदमसिंह पिता रामप्रसाद लालजी रमेश पिता रुग्नाथ जाति बलाई	547/2	0.459	0.260
		548/2	0.139	0.089
		549/2	0.051	0.010
		550/2	0.215	0.150
		551/2/1	0.163	0.163
42	नारान सिंह उकार 1/3, सुमन बाई बेवा बलदेव, प्रदीप, सदीप, पंकज पिता बलदेव 1/3, ललता बाई संगीता बाई पुत्री मांगीलाल 1/3 जाति बलाई	548/3	0.139	0.104
		549/3	0.051	0.020
		551/3	0.384	0.180
		547/3	0.460	0.180
		550/3	0.215	0.020
43	भागवतबाई पत्नी लाडसिंह जाति घोसी	551/1/2	0.074	0.074
		552/1/2	0.432	0.432
44	मुकेश पिता देवकरण जाति घोसी	553/2	1.007	0.060
45	पृथ्वीसिंह पिता नानूराम जाति घोसी	584/2	0.766	0.030
46	कमलाबाई पिता शिवचरण जाति गाडरी	581/3	0.447	0.020
47	सुगनबाई पत्नी मनोहरसिंह जाति तेली	580/2	0.784	0.350
		578/1/1	0.479	0.379
		579/1/1	0.673	0.315
48	महेश पिता भागीरथ जाति बलाई	579/1/2	0.459	0.439
		578/1/2	0.300	0.020
49	बापूलाल पिता प्रभूलाल जाति माली	576/2/1	0.190	0.070
		576/1	0.072	0.072
		577	0.506	0.260
50	जितेन्द्र कुमार पिता धुलीजी जाति गाडरी	579/2	0.120	0.080
		667/1	0.519	0.065
51	कम्पूबाई बेवा रमेशचन्द्र देवा राजनाबा पिता रमेशचन्द्र सपमाता कम्पूबाई ग्रहलाद सिंह प्रीतमसिंह राधेश्या, राकेश पिता मांगीलाल जाति घोसी	668/1	0.924	0.350
		668/2	0.784	0.583
52	भगवानसिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी	669/1/1	0.857	0.350
53	बनेसिंह पिता अमरसिंह जाति घोसी	669/2	1.714	0.620
54	मोलाशम पिता बुलाखी जाति भील	671/2/2	0.747	0.640
55	श्रीमन्नाशायण पिता किशनलाल जाति बलाई	671/2/3	0.137	0.087
56	कनीराम, रामप्रसाद पिता गिरधारी जाति चमार	689/1/4	0.300	0.065
57	कमलसिंह पिता नन्डूलाल जाति भील	672/1/3	0.228	0.195

58	प्रेमबाई पिता नन्लाल जाति भील	672/1/2	0.228	0.070	
59	शिवलाल पिता दरियाव जाति भील	672/2/1	0.342	0.312	
60	रूपसिंह पिता दरियाव जाति भील	672/2/2	0.341	0.100	
61	प्रकाश पिता श्रीलाल जाति काछी हि.1/3 भाग, राधेश्याम पिता श्रीलाल जाति काछी हि.1/3 भाग, कमलाबाई बेवा श्रीलाल जाति काछी हि. 1/3 भाग	674/1	1.051	0.785	
62	लाडसिंह पिता शंकरलाल जाति कुम्हार	673/1	0.240	0.085	
63	नारायण सिंह पिता ललजी जाति काछी	676/1	0.949	0.455	
64	मोतीलाल पिता शंकरलाल जाति कुम्हार	673/3	0.266	0.015	
65	हरिनारायण पिता रामचरण जाति घोसी	677	0.746	0.120	
66	श्रीमती पुनियाबाई पिता नारायण सिंह जाति काछी, लक्ष्मीबाई पति दुर्गाप्रसाद जाति काछी	678	0.190	0.155	
		679	0.506	0.476	
		680/1	0.389	0.055	
योग		104	50.293	23.053	

भूमि के जवशे-म्लान-आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1805-भू-अर्जन-2023

क्रमांक/23/02 भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 01/2023 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में ब्यावरा - भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्कवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क्र.(6) में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची(1)

ग्राम माना		तहसील नरसिंहगढ़		
स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5
निजी	भूमि	11.185	-	11.185

अनुसूची(2)

स०क्र०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	नारायणसिंह पिता धीसालाल जाति खाती	564/1/1	2.112	0.520	रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेलवे लाईन में प्रभावित भूमि
2	मवंरलाल पिता धीसालाल जाति खाती	564/1/2	2.112	0.370	

18	जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती	559	1.037	0.253	
19	श्रीराम पिता नंदराम जाति पंवार	552/1/1	0.533	0.240	
20	बद्रीप्रसाद पिता रामलाल जाति खाती	552/2/1	0.552	0.450	
21	हरिप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती	542/1/1/1	0.213	0.120	
22	अमित कुमार पिता रामप्रसाद जाति खाती	542/1/2/1	0.214	0.040	
23	कालूराम पिता जगन्नाथ पुनियाबाई बेवा जगदीश विपता बाई नाबालिग पिता जगदीश संरक्षक पुनिया बाई जाति खाती	570/3	0.360	0.250	
		565/2/2	0.143	0.130	
24	दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति खाती	565/2/1/2	0.071	0.071	
25	जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती	565/2/1/1	0.071	0.071	
		565/1	0.284	0.190	
26	रमेशचंद्र गोविंद प्रसाद दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल मुअयोध्या बाई घीसालाल जाति खाती	565/3	0.569	0.200	
27	रमेशचन्द्र पिता दरियाव सिंह जाति खाती	596/2/1	0.506	0.204	
28	पन्नालाल बापूलाल पिता हाजारीलाल घनश्याम मनोज रेणु पिता रूगनाथ समरथबाई बेवा रूगनाथ कोशल्याबाई बेवा गोविंदप्रसाद जाति खाती	596/2/2	0.506	0.190	
		596/1	1.074	0.450	
29	रोड़सिंह पिता चुन्नीलाल जाति गाडरी	596/6/3	0.506	0.080	
30	सुन्दरबाई पत्नि काशीराम जाति गाडरी	582/1	1.441	0.400	
31	मिश्रीलाल पिता गणपत जाति चमार	582/2	0.493	0.250	
32	छीतर रघुनाथ मोतीलाल श्रीकिशन पिता रामलाल हि 25 पैसे मोंग्या पिता हरल्या हि 25 पैसे पूना पिता पन्ना हि 25 पैसे कल्लू पिता नन्नु नन्नी बेवा नन्नु हि 25 पैसे जाति चमार	588	1.164	0.300	
		595	0.101	0.040	

3	घीसीबाई बेवा मांगीलाल मोहनलाल पिता मांगीलाल सीताराम पिता मांगीलालजाति खाती	564/2/1	0.506	0.270	
4	जगन्नाथ पिता ईसर जाति खाती	564/2/2	0.505	0.380	
5	घीसीबाई बेवा मांगीलाल मोहनलाल पिता मांगीलाल सीताराम पिता मांगीलाल-हि-50 जगन्नाथ पिता ईसर हि-50 जाति खाती	564/2/3	0.026	0.026	
6	रमेशचंद्र गोविंद प्रसाद दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल मुअयोध्या बाई घीसालाल जाति खाती	570/1	0.721	0.424	
7	सोदरीबाई बेवा बटटू देवकरण दीपक विष्णु बापु पिता बटटू जाति चमार	596/4/4	0.086	0.086	
		596/5	0.316	0.300	
8	दिनेश कैलाश ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद सुगनबाई निर्मलाबाई पिता रामप्रसाद मोहन लाल पिता जगन्नाथ जाति खाती	573/1/1	0.506	0.100	
9	गोविंद राजू कमल पिता प्रभुलाल कांताबाई पुत्री प्रभुलाल जाति चमार	604/1/1	0.632	0.150	
10	इमरत बाई बेवा घुडीलाल चिंताबाई पिता घुडीलाल रानी कविता रवि कुमार नाबालिग महेश पिता घुडीलाल सर माता इमरतबाई बेवा घुडीलाल जाति चमार	596/7/1	0.900	0.360	
11	गंगाबाई बेवा रामा जाति चमार	596/7/2	0.276	0.013	
12	मांगीलाल पिता दरियाव सिंह जाति खाती	596/6/1/2	0.253	0.171	
13	देवीलाल पिता बोदर जाति चमार	596/6/1/1/1	0.608	0.420	
14	शिवनारायण पिता पन्नालाल जाति खाती	596/6/1/1/2	0.168	0.100	
15	मंवरलाल पिता पन्नालाल जाति खाती	596/6/1/1/3	0.168	0.080	
16	गोविन्द प्रसाद पिता जगन्नाथ जाति खाती	596/6/1/1/4	0.168	0.080	
17	मंवरलाल पिता रामप्रसाद जाति खाती	558/1	1.220	0.253	

33	मांग्या पिता हरल्या जाति चमार	587	0.708	0.450	
		585	0.569	0.200	
		586/1	0.632	0.060	
34	सावित्रीबाई पति शिवप्रसाद जाति चमार कृष्णाबाई पति रामसिंह जाति चमार	584/1	0.316	0.200	
35	शांतिबाई बेवा नन्नूलाल राजकुमार राजेशकुमार पिता नन्नूलाल कुसुमबाई पुत्री नन्नूलाल जाति कलाल	687/1/9	0.400	0.400	
36	शब्बीरखॉ यूसूफखॉ उर्फ यूसूफअली बेताब बी सहनाज बी पिता आशिकअली खातूनबी उर्फ हसीनाबी बेवा आशिकअली जाति फकीर	687/1/8	0.456	0.100	
37	फौजियाबी पति मोहम्मद यूसूफ जाति मुसलमान	687/3/1	0.772	0.430	
		687/7/1	0.358	0.013	
		687/7/2	0.350	0.070	
38	रजियाशेख पति जाकिर हुसैन जाति मुसलमान	687/2/1/1	0.506	0.270	
		687/2/1/2	0.252	0.200	
39	गोकलबाई पति जगन्नाथ जाति खाती	695/2	1.265	0.080	
40	रामेश्वर पिता शिवनारायण जाति खाती	688/2	1.562	0.280	
41	रामेश्वर विक्रम पिता शिवनारायण जाति खाती	689/1	1.265	0.270	
42	मोहनलाल पिता घीसीलाल जाति बलाई	581/2	0.500	0.130	
योग		52	13.393	11.185	

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

नस्ती क्र.-एलए-2023-भू-अर्जन प्रकरण क्र.-0001-अ-82-2022-23

खण्डवा, दिनांक 20 फरवरी 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानिक समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है। इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन

जिला	:	खण्डवा
तहसील	:	खालवा
ग्राम	:	सरमेश्वर वन ग्राम
अर्जित रकबा	:	36.042 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्ट.)	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्ट.)
10, 15	3.845	41/3, 26/3	0.40
16/1, 18/1	1.300	41/4, 26/4	0.39
16/2, 18/2	1.573	19/1	0.99
16/3, 18/3	1.573	19/2	0.99
16/4, 18/4	1.573	19/3	1.00
20/1	2.013	19/4	1.00
20/2	2.013	21/1	0.94
7/1	2.331	21/2	0.94
7/2	2.331	21/3	0.94
38/1	0.53	21/4	0.94
38/2	0.53	25/1	0.24
38/3	0.52	25/2	0.24
37/1	0.24	25/3	0.24
37/2	0.23	6/1	2.00
37/3	0.23	6/2	1.94
34/1	0.25	3/1	0.12
34/2	0.25	3/2	0.11
34/3	0.25	3/3	0.11
41/1, 26/1	0.42	3/4	0.11
41/2, 26/2	0.40	-	-

- 2) सार्वजनिक प्रयोजन ज़िम्मेदार के लिये भूमि की आवश्यकता है :- नाम मध्यम सिंचाई परियोजना भूमि बाँध निर्माण कार्य हेतु वन क्षेत्र सरमेश्वर में डूब प्रभावित पट्टेधारीयों की वन भूमि के उ अधिग्रहण हेतु।
- 3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हरसू कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

नस्ती क्र.-एलए-2023-भू-अर्जन प्रकरण क्र.-0002-अ-82-2022-23

भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानिक समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिपेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है। इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन

जिला : खण्डवा
तहसील : खालवा
ग्राम : आंवलिया वन ग्राम
अर्जित रकबा : 34.726 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्ट.)	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्ट.)
14/2/1	1.300	46/3	1.000
14/3	3.000	7/1	1.000
14/1/1	0.500	7/2/1	1.000
14/2/2	0.500	7/3/1	1.000
16/1	0.678	7/3/2	1.200
16/3	0.700	48/2	0.200
16/4	1.000	48/2/2	0.200
44/1	2.653	17/2/3	0.300
44/2	2.100	60/1	0.150
44/3	2.000	57/1	0.325
44/4	2.200	60/2	0.100
8/1	3.000	57/2	0.300
8/2, 13/1	3.600	58	1.500
13/2	1.200	9/3	0.250
46/2	1.300	28/2	0.470

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है :- आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के आंवलिया बाँध निर्माण कार्य हेतु वन क्षेत्र आंवलिया (रिजर्व फारेस्ट) में डूब प्रभावित पट्टेधारियों की वन भूमि के उपयोग अधिग्रहण हेतु।
- भूमि का निरीक्षण (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी हरसूद तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग**

क्र.-1506-जि.भूअ.-2023

सिवनी, दिनांक 2 मार्च 2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

- 1- ग्राम का नाम : भररूटोला ब.नं.-143 प.ह.नं.-26
2- रा.नि.मं. :- बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.77 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वाप्ति का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रजाति किस	संख्या	प्रकार	कुर्सी का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	21	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	सावित्री ध0प0 मन्थुलाल, सुखवती ध0प0 महेश जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	विपतलाल पिता घूडन की भूमि	रामनाथ पिता धनाराम बौरा की भूमि	विशालकुमार पिता प्रफूलकुमार कोठारी की भूमि	विपतलाल पिता घूडन की भूमि	-	-	-	-
2	20	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	रामनाथ पिता धनाराम जायोबाई आयोबाई पिता कोटू इमरती पति साधू जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सावित्री ध.प. मन्थुलाल, सुखवती ध.प. महेश की भूमि	रामकुंवर पिता श्रीचंद की भूमि	सावित्री ध.प. मन्थुलाल, सुखवती ध.प. महेश की भूमि	विपतलाल पिता घूडन की भूमि	-	-	-	-

3	34	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रघुराजसिंह पिता बखतलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	रामनाथ पिता धनाराम बगैरा की भूमि	म.प्र.शासन गोरखपुर रास्ता	सतीषसिंह पिता रघुवीरसिंह की भूमि	रघुवीरसिंह पिता बखतलाल की भूमि	-	-	-	-
4	35	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	रघुवीरसिंह पिता बखतलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	प्रेमाबाई ध.प.स्व. मन्नु की भूमि	म.प्र.शासन गोरखपुर रास्ता	रघुवीरसिंह पिता बखतलाल की भूमि	नन्दलाल पिता बखतलाल की भूमि	-	-	-	-
5	89	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सरूआ जमनाप्रसाद, भागवतीबाई, शांतिबाई, चैनवतीबाई, पिता सुखराम जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन गोरखपुर रास्ता	बराती, बहिबा, लेखमनी पिता बरातीलाल की भूमि	शिवकली ध0प0स्व0 बाबूलाल की भूमि	म.प्र.शासन घास चराई भूमि	-	-	-	-
6	90	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	शिवकलीबाई ध0प0स्व0 बाबूलाल, राकेश, मनीष पिता बाबूलाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन गोरखपुर रास्ता	बीरबल पिता कठोरी की भूमि	लेखमनीबाई पति सुमरी की भूमि	सरूआ जमनाप्रसाद, बगैरा पिता सुखराम की भूमि	-	-	-	-
7	103	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	बराती, बहिबा, लेखमनी पिता बरातीलाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सरूआ जमनाप्रसाद, बगैरा पिता सुखराम की भूमि	म.प्र.शासन गोरखपुर रास्ता	बीरबल पिता कठोरी की भूमि	हरचंद पिता बरातीलाल की भूमि	-	-	-	-
8	104	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	हरचंद पिता बरातीलाल जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सरूआ जमनाप्रसाद, बगैरा पिता सुखराम की भूमि	म.प्र.शासन गोरखपुर रास्ता	बराती, बहिबा, लेखमनी पिता बरातीलाल की भूमि	दर्शन पिता बरातीलाल की भूमि	-	-	-	-
8				0.77									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1507-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैं:-

अनुसूची

- 1- ग्राम का नाम :-झिलमिली ब.नं.-223 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.मं. :-बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-1.80 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण कर्मांक	स्वास्थ्य का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रगति क्रम	संख्या	प्रकार	स्थिति का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	120/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	नीलेश लखन सिंह ना.वा. पिता टेकसिंह वली मां भूमिस्वामी	जिलेसिंह रविन्द्रसिंह पिता भादू बगैरा की भूमि	राजेन्द्र शिवरंजन पिता बलबतासिंह बगैरा की भूमि	जिलेसिंह रविन्द्रसिंह पिता भादू बगैरा की भूमि	अभिराजसिंह ना0बा0पालक व. पिता यानसिंह की भूमि	-	-	-	-
2	119/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	जिलेसिंह रविन्द्रसिंह पिता भादू सविताबाई पिता भादू फूलवती पत्नी भादू भूमिस्वामी	अभिराजसिंह ना0बा0पालक व.पि. यानसिंह की भूमि	नेमीचंद पिता कपूरचंद की भूमि	ग्राम परासिया की सीमा	नीलेश लखनसिंह ना. वा. पिता टेकसिंह की भूमि	-	-	-	-
3	120/10	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	अभिराजसिंह ना0बा0पालक व. पिता यानसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	राजेन्द्र शिवरंजन पिता बलबतासिंह बगैरा की भूमि	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	राजेन्द्रसिंह पुत्र गनपतसिंह की भूमि	-	-	-	-

4	120/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	दीपक, आशीष, प्रीति पिता अशोक पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कुमत छोटा बगौरा पिता बालचन्द की भूमि	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह कीभूमि	अभिराजसिंह ना0बा0पालक व. पि.यानसिंह की भूमि	राजेन्द्र बगौरा पिता बलवन्तसिंह की भूमि	-	-	-	-
5	120/8	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	अभिराजसिंह ना0बा0पालक व. पिता यानसिंह जाति राजपूत पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	यानसिंह पिता गनपत की भूमि	जिलेसिंह रविन्द्रसिंह पिता भादू बगौरा की भूमि	दडुआ जाति लौहार की भूमि	दीपक, आशीष, प्रीति पिता अशोक की भूमि	-	-	-	-
6	120/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	राजेन्द्र शिवरंजन सतीष अनीता पिता बलवन्तसिंह बटिटीबाई ध0प0 बलवन्तसिंह जाति राजपूत पता नि0ग्रा0 भूमिस्वामी	कुमत छोटा बगौरा पिता बालचन्द की भूमि	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	दीपक, आशीष, प्रीति पिता अशोक की भूमि	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	-	-	-	-
7	122/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	शिवप्रसाद पिता काशीराम तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	शिवप्रसाद पिता काशीराम की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	यानसिंह पिता गनपत की भूमि	नीलेश लखनसिंह ना.वा. पिता टेकसिंह की भूमि	-	-	-	-
8	122/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	प्रदीपकुमार पिता काशीराम तेली पता सा.देह भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	यानसिंह पिता गनपत की भूमि	शिवप्रसाद पिता काशीराम की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	-	-	-	-
9	123/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	सुखिया पुत्री अन्तराम जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	रमेश बाबूलाल बगौरा की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	जीवन पुत्र अन्तराम की भूमि	मोहनिया पुत्री अन्तराम की भूमि	-	-	-	-
10	123/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	मोहनिया पुत्री अन्तराम जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	रमेश बाबूलाल बगौरा की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	सुखिया पुत्री अन्तराम जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	धनो पुत्री अन्तराम की भूमि	-	-	-	-

11	123/6	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	धन्नो पुत्री अन्तराम जाति मेहरा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	रत्नू पिता मुलाल की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	मोहनिया पुत्री अन्तराम की भूमि	बालकराम पिता झगलू की भूमि	-	-	-	-
12	124	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	बालकराम पिता झगलू जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	जीवन, बगौरा पिता अन्तराम की भूमि	ईश्वर पिता सोलू की भूमि	-	-	-	-
13	125	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	ईश्वर पिता सोलू जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	म.प्र.शासन घास भूमि	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	बालकराम पिता झगलू की भूमि	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	-	-	-	-
14	126	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	सुलाराम पिता भुगलू जाति गोंड पता सा.देह भूमिस्वामी	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	ईश्वर पिता सोलू की भूमि	म.प्र.शासन घास भूमि	-	-	-	-
15	158	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन घास भूमि	-	-	-	-
16	155	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन घास भूमि	शिवदयाल पिता अमरलाल की भूमि	-	-	-	-
17	156	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	सुनिया पत्नी सुलाराम पता सा. देह भूमिस्वामी	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन घास भूमि	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	-	-	-	-
18	154	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	शिवदयाल पिता अमरलाल जाति चमार पता सा. देह भूमिस्वामी	म.प्र.शासन रास्ता	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	बीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	-	-	-	-

19	130	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	वीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार जाति तेली पता झिलमिली सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	ईश्वर पिता सोलू की भूमि	म.प्र.शासन रास्ता	सुलाराम पिता भुगलू की भूमि	असाढ़, सुखराम पिता नन्दुआ की भूमि	-	-	-	-
20	129	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	सुलाराम-पिता भुगलू जाति गौंड पता सा.देह भूमिस्वामी	म.प्र.शासन अन्य	म.प्र.शासन रास्ता	म.प्र.शासन घास भूमि	वीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	-	-	-	-
21	131	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	असाढ़, सुखराम पिता नन्दुआ भदुआ पिता नन्दुआ सुकरती पिता नन्दुआ जाति गौंड भूमिस्वामी	म.प्र.शासन अन्य	म.प्र.शासन रास्ता	वीरेन्द्रकुमार उर्फ लाला पिता प्रदीपकुमार की भूमि	विपतराम पिता मोती बगैरा की भूमि	-	-	-	-
22	11	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	तिलखा तिलकवती पिता चरिया जाति गौंड पता सा.देह भूमिस्वामी	अघनिया रमसिया पिता साहमन की भूमि	म.प्र.शासन अन्य	उमा भूरी सावित्री पिता सहादुर की भूमि	विजिया ध.प.स्व. हजारीलाल की भूमि	-	-	-	-
23	12/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	अघनिया रमसिया पिता साहमन जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	रमोती पति लच्छीराम की भूमि	उमा भूरी सावित्री पिता सहादुर की भूमि	सलीम खां पिता जलीम खां की भूमि	विजिया ध.प.स्व. हजारीलाल की भूमि	-	-	-	-
24	12/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	उमा भूरी सावित्री पिता सहादुर बहादुर जंगलसी महेश पिता नकल अमोला ध. प.स्व. नकल जाति गौंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अघनिया रमसिया पिता साहमन की भूमि	रूपल पिता रमेश की भूमि	म.प्र.शासन घास भूमि	तिलखा तिलकवती पिता चरिया की भूमि	-	-	-	-
25	12/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	रूपल पिता रमेश जाति परधान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	उमा भूरी सावित्री पिता सहादुर की भूमि	म.प्र.शासन अन्य	म.प्र.शासन घास भूमि	तिलखा तिलकवती पिता चरिया की भूमि	-	-	-	-
26	13	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	रमोती पति लच्छीराम जाति अहीर पता नि. बोरिया भूमिस्वामी	रामलाल पिता असाढ़, बगैरा की भूमि	अघनिया रमसिया पिता साहमन की भूमि	सलीम खां पिता जलीम खां की भूमि	जगराम पिता अकलसिंह	-	-	-	-

27	16	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	रामचंद, गनपत पुत्र परसादी पिता इंदरवती पुत्री परसादी मंगली पत्नी असादू रामलाल पुत्र असादू बिलसो, बेनवती, बिन्दू, रामप्यारी पुत्री असादू फूलाबाई पत्नी दादूराम, बिसराम, श्यामसिंह, नौमी, दसमी पुत्र दादूराम, बिसखिया, गीता पुत्री दादूराम जाति गोंड पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	ग्राम बोरिया की सीमा	जगराम पिता अकलसिंह	रमाती पिता लच्छीराम की भूमि	शान्ति बगैरा पिता हरिप्रसाद की भूमि	-	-	-	-
28	233/2/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	भगतरोम भागरती रूपचंद असमवती पिता बुद्धू जाति मेहसा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	हेमंत उईके पिता अशोक उईके की भूमि	पंच परियोजना की नहर	हेमंत उईके पिता अशोक उईके की भूमि	नेमीचंद, तेजलाल, बदामा, विध्या पिता की भूमि	-	-	-	-
29	225/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	नेमीचंद, तेजलाल, बदामा, विध्या पिता कपूरचंद जाति धोबी, रामनाथ, ब्रजनाथ लोकेश, मैना, पिता खेमलाल जाति धोबी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	सुमरत पिता कुन्नाकी भूमि	ग्राम गोखपुरखुर्द की सीमा	भगतरोम भागरती रूपचंद असमवती पिता बुद्धू की भूमि	राजाराम, श्याम पिता भारत बगैरा की भूमि	-	-	-	-
30	232/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	नेमीचंद, तेजलाल, बदामा, विध्या पिता कपूरचंद जाति धोबी, रामनाथ, ब्रजनाथ लोकेश, मैना पिता खेमलाल जाति धोबी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	भगतरोम भागरती रूपचंद असमवती पिता बुद्धू की भूमि	म.प्र.शासन घास भूमि	म.प्र.शासन घास भूमि	नेमीचंद, तेजलाल, बदामा, विध्या पिता कपूरचंद की भूमि	-	-	-	-
30	130												

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-1508-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

- 1- ग्राम का नाम :-परासिया ब.नं.-174 प.ह.नं.-36
 2- रा.नि.मं. :-बंडोल तहसील:-सिवनी जिला:-सिवनी
 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-3.24 हेक्टेयर

स. क्र.	सर्वेक्षण क्रमांक	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधिन क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	प्रति किस्म	संख्या	प्रकार	विविध का एरिया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	445/3/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	सुशीलकुमार, संतकुमार, सुषमा पिता मोतिलाल जाति नाई, आशीष, अखिलेश अतुल पिता महेश जाति नाई पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	संतकुमार पिता मोतिलाल जाति नाई की भूमि	पेच व्यपर्वतन परियोजना की नहर	शासकीय रास्ता	द्रोपतीबाई पति मेरसिंह की भूमि	-	-	-	-
2	445/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	संतकुमार पिता मोतिलाल जाति नाई पता सा. देह भूमिस्वामी	सुशीलकुमार पिता मोतिलाल जाति नाई की भूमि	सुशीलकुमार, संतकुमार, सुषमा पिता मोतिलाल नाई की भूमि	शासकीय रास्ता	हेमराज पिता विसराम की भूमि	-	-	-	-

3	445/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	सुसीलकुमार पिता मोतिलाल जाति नाई पता सा. देह भूमिस्वामी	दिनेशकुमार पिता नहेलाल की भूमि	संतकुमार पिता मोतिलाल जाति नाई की भूमि	शासकीय रास्ता	घनश्याम पिता भागचंद की भूमि	-	-	-	-
4	446	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	रामनाथ पुत्र प्रेमा जाति नाई पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी	सिपत पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	सुशीलकुमार पिता मोतिलाल जाति नाई की भूमि	कन्हैया पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
5	447/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	सिपत पिता चिन्तामन जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	केशराम बगैरा पिता पतिराम बगैरा की भूमि	रामनाथ पुत्र प्रेमा जाति नाई की भूमि	कन्हैया पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
6	447/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	कन्हैया पिता चिन्तामन जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	केशराम बगैरा पिता पतिराम बगैरा की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	रमेश पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	सिपत पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
7	447/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	रमेश पिता चिन्तामन जाति गोंड पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	केशराम बगैरा पिता पतिराम बगैरा की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	रामेश्वर, मस्तराम पिता गुलाब की भूमि	कन्हैया पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-
8	498	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	रामेश्वर मस्तराम रामभगत रामकिशानी कमला सुरजनिया गुड्डो सुदामा पिता गुलाब जाति गोंड पता सा. देह भूमिस्वामी	दादुराम पिता दमडी बगैरा की भूमि	मदन पिता भैयालाल की भूमि	शासकीय रास्ता	रमेश पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	-	-	-	-

9	448	भूमिस्वामी	कृषि	0.24	केशराम सखिया किसनिया किसन्ता गौरी कारी पिता पतिराम श्यामाबाई ध.प. स्व. पतिराम शैलवती पिता बजारी जाति अहीर पता सा. देह भूमिस्वामी	शासकीय चारागाह की भूमि	कन्हैया पिता चिन्तामन जाति गोंड की भूमि	दादुराम पिता दमडी बनौर की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
10	454/10	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	नर्मदाबाई पत्नि देवीसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	अंजुबाई पत्नि नंदलाल की भूमि	गौरीशंकर ना.बा.वल्लव वो वली तामसिंग पिता छेदीलाल की भूमि	बाबूलाल पिता समाचंद की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
11	454/9	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	गौरीशंकर पिता तामसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	नर्मदाबाई पत्नि देवीसिंह जाति बंजारा की भूमि	सुकरती पत्नि मोहनलाल जाति बंजारा की भूमि	शारदा ना.बा. पिता हिम्मतसिंह की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
12	454/8	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	सुकरती पत्नि मोहनलाल जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	गौरीशंकर ना.बा.वल्लव वो वली तामसिंग पिता छेदीलाल की भूमि	गौरीशंकर ना.बा.वल्लव वो वली तामसिंग पिता छेदीलाल की भूमि	जामवती पत्नि खूबचंद की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	-	-	-	-
13	454/7	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	सुखदेव पिता बीरनसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	गौरीशंकर ना.बा.वल्लव वो वली तामसिंग पिता छेदीलाल की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	पंकज, रामकेश पिता रमेश की भूमि	सुनील पिता बीरनसिंह की भूमि	-	-	-	-
14	482/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	हेमराज विन्नी हेमकली पि0 वारेलाल जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	कष्णा पिता वारेलाल लक्ष्मी पिता वारेलाल की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	सुखदेव पिता बीरनसिंह जाति बंजारा की भूमि	-	-	-	-

15	482/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	कृष्णा पिता वारेलाल लक्ष्मी पिता वारेलाल, जाति कतिया, विजय पिता कन्हैया, विनोद पिता कन्हैया, मनोज पिता कन्हैया, जाति कतिया पता परासिया सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	पंकज, रामकेश पिता रमेश की भूमि	हेमराज विन्नी हेमकली पिता वारेलाल की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	सुखदेव पिता बीरनसिंह जाति बंजारा की भूमि	-	-	-	-
16	482/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	पंकज, रामकेश भैंता पिता रमेश वली आजी पता सा. देह भूमिस्वामी	कंचनिया ध.प.स्व. छोटेलाल जाति कतिया की भूमि	कृष्णा पिता वारेलाल लक्ष्मी पिता वारेलाल बगौरा की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	सुखदेव पिता बीरनसिंह जाति बंजारा की भूमि	-	-	-	-
17	482/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	कंचनिया ध.प.स्व. छोटेलाल जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	शारदा ना.बा. पिता हिम्मतसिंह की भूमि	पंकज, रामकेश पिता रमेश की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	सुखदेव पिता बीरनसिंह जाति बंजारा की भूमि	-	-	-	-
18	482/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	शारदा ना.बा. पिता हिम्मतसिंह बली मों सुकरती सुकरती ध.प.स्व. हिम्मतसिंह जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	पंकज, रामकेश भैंता पिता रमेश वली आजी पता सा. देह भूमिस्वामी	शासकीय चारागाह भूमि	गौरीशंकर ना.बा.वल्द वो वली तामसिंग पिता छोटेलाल की भूमि	-	-	-	-
19	479/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	हरिराम पुत्र बंशीलाल जाति कतिया पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	ब्रह्मनसिंह पिता लखनसिंह बगौरा की भूमि	पूनाराम पिता बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	शासकीय वन भूमि	-	-	-	-
20	479/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.12	हरिराम पूनाराम, मनीराम, इमरती पिता वंशीलाल जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	हरिराम पुत्र बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	अमनिया ध.प.स्व. चिन्तामन की भूमि	पूनाराम पिता बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	-	-	-	-

21	479/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	पूनाराम पिता बंशीलाल जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	हरिराम पुत्र बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	शासकीय नाला	हरिराम पूनाराम बगेरा पिता बंशीलाल की भूमि	हरिराम पुत्र बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	-	-	-	-
22	464/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	नौमसिंह, रमनसिंह, इंदरसिंह, मेहताप, मोहनसिंह, ऊबा, निशा पिता बाबूलाल जाति कतिया पता परसिया सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	शासकीय शारदा ना.बा. पिता हिम्मत की भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	हरिराम पुत्र बंशीलाल जाति कतिया की भूमि	-	-	-	-
23	464/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	शासकीय रास्ता	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	शासकीय चारगाह भूमि	आन्डूबाई पत्नि नंदलाल की भूमि	-	-	-	-
24	148/1/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	सतीश सोनी पिता हरिप्रसाद सोनी जाति सोनी पता छपारा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	शासकीय रास्ता	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	संजय सोनी पिता हरिप्रसाद सोनी की भूमि	-	-	-	-
25	147/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.20	नोमी, नोमचंद पिता कपूर गोरा पुत्री कपूर जाति लमाना पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	रामजी पिता सोमा साहवती की भूमि	शासकीय रास्ता	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	सतीश सोनी पिता हरिप्रसाद सोनी जाति सोनी की भूमि	-	-	-	-
26	147/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	बसोडी पिता अमरसिंह जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	-	-	-	-
27	130/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.13	रामजी पिता सोमा साहवती मेनकी गुड्डू ममता पिता सोमा जाति बंजारा पता. निवासी ग्राम भूमिस्वामी	ढबू पिता झूमा की भूमि	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	छेदीलाल पिता पनिया जाति लमाना की भूमि	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	-	-	-	-

28	144/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	लालचंद पिता पबिया की भूमि	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	-	-	-	-
29	131/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	छेदीलाल पिता पनिया जाति लमाना पता सा. देह भूमिस्वामी	रघुवीर पिता भुवनलाल बगैरा की भूमि	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	लालचंद पिता पबिया की भूमि	ढबू पिता धूमा की भूमि	-	-	-	-
30	127	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	वधिया पिता डोमा जाति बंजारा ढबू चैतराम, रामबगस, सुन्दर, सूखवती, सरस्वती, पुसिया पिता धूमा नथुला सरमन, गलझर पिता डोमा, सरदार, दयालू, उदेशी पिता जोहर जाति बंजारा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी,	शिवचरन पिता ताराचंद जाति बंजारा की भूमि	नोमी, नोमचंद पिता कपूर की भूमि	छेदीलाल पिता पनिया जाति लमाना की भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
31	126	भूमिस्वामी	कृषि	0.02	शिवचरन पिता ताराचंद जाति बंजारा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	शासकीय रास्ता	ढबू पिता धूमा की भूमि	शासकीय चारागाह भूमि	शासकीय रास्ता	-	-	-	-
32	97/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.08	शिवचरन पिता ताराचंद जाति बंजारा पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना की भूमि	शासकीय रास्ता	शासकीय रास्ता	प्रमीलाबाई बगैरा ओतम की भूमि	-	-	-	-
33	97/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना पता सा.देह भूमिस्वामी	शासकीय आबादी भूमि	शिवचरन पिता ताराचंद जाति बंजारा की भूमि	शिवचरन पिता ताराचंद जाति बंजारा की भूमि	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना की भूमि	-	-	-	-

34	98/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना पता सा.देह भूमिस्वामी	शासकीय आबादी भूमि	प्रमीलाबाई बगेरा ओतम की भूमि	राधेश्याम कन्हैया पिता सरदारसिंह जाति लमाना की भूमि	मटरू पिता सरदार की भूमि	-	-	-	-
35	105/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.17	कार्तिक, हेमंतकुमार, रिषीकेश, कार्तिका ना.बा. पिता माखन वली मों गुरुपतिया, गुरुपतिया घ.प. स्व. माखन जाति बंजारा पता सा. देह भूमिस्वामी	इन्दरसिंह पिता बाबूलाल जाति कतिया की भूमि	शासकीय आबादी भूमि	नीलम पिता चरणलाल की भूमि	दुलारे पिता बालाराम की भूमि	-	-	-	-
36	81	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	इन्दरसिंह पिता बाबूलाल जाति कतिया पता सा. देह भूमिस्वामी	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	कार्तिक, बगेरा पिता माखन की भूमि	समलू पिता टीकाराम की भूमि	बालाराम पिता हरचंद की भूमि	-	-	-	-
37	106/5	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	झामसिंह, राजेन्द्र, दिलीपकुमार, गनेशी, बसंती, राजकुमारी, कौशल्या पिता समलू जाति कतिया पता परासिया सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	कुम्भाबाई पति रविशंकर की भूमि	प्रमीलाबाई बगेरा ओतम की भूमि	कुम्भाबाई पति रविशंकर की भूमि	इन्दरसिंह पिता बाबूलाल की भूमि	-	-	-	-
38	80/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	बाबूलाल पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	कुम्भाबाई पति रविशंकर की भूमि	समरचंद पिता मुरा की भूमि	-	-	-	-
39	80/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.03	नौनसिंह, रमनसिंह, इंदरसिंह, मेहताप, मोहनसिंह, ऊषा, निशा पिता बाबूलाल जाति कतिया पता परासिया सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी	रतीराम पिता सभाचंद जाति कतिया की भूमि	इन्दरसिंह पिता बाबूलाल जाति कतिया की भूमि	कुम्भाबाई पति रविशंकर की भूमि	बालाराम पिता हरचंद की भूमि	-	-	-	-
69	योग			3.24									

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कसरावद,
जिला, खरगोन, मध्यप्रदेश

क्र.-2266-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0013-2022-23

कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

प्रारूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आशयक प्रतीत होता है,कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी का जल उपलब्ध होने के फलस्वरूप योजना की पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-1,पर ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-बलखड प.ह.न-53 तहसील कसरावद जिला खरगोन म. प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है,कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	बलखड बुजुर्ग/52	21	0.003
			23/2	0.016
			20	0.029
			19/1	0.009
			28	0.003
			27	0.013
			35/1	0.009
			35/2	0.011
			35/3	0.014
			35/8	0.007
			35/11	0.020
			35/9/2	0.017
			36/2	0.002
			38/1	0.002
			41/2	0.047
			42/2	0.031
			43/2	0.028
			43/5	0.011
			43/7	0.016
कुल योग-			19	0.288

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-2265-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0015-2022-23

प्रारूप-“ख”
{ नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आशयक प्रतीत होता है,कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी का जल उपलब्ध होने के फलस्वरूप योजना की पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-1,पर ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-लोहारी प.ह.न-52 तहसील कसरावद जिला खरगोन म. प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है,कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	लोहारी/52	9/4	0.018
			9/3	0.022
			9/2	0.014
			9/1	0.026
			10/3	0.008
			10/2	0.008
			10/1	0.011
			11/1	0.034
			11/3	0.018
			11/5	0.017
			11/4	0.030
			15/2	0.023
			20/2	0.021
			20/5	0.011
			20/4	0.020
			20/3	0.034
			19/1/2/1	0.030
			19/1/1	0.030
			19/2/1	0.005
			22/3	0.004
			19/1/1	0.015
			19/1/2/1	0.016
			19/2/1	0.014
			19/2/2	0.002
योग-			24	0.431

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-2267-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0012-2022-23

प्रारूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आशयक प्रतीत होता है,कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी का जल उपलब्ध होने के फलस्वरूप योजना की पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-1,पर ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम.बावरचा प.ह.न-... तहसील कसरावद जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है,कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	बावरचा	138	0.027
योग			01	0.027

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-2268-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0011-2022-23

प्रारूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आशयक प्रतीत होता है,कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी का जल उपलब्ध होने के फलस्वरूप योजना की पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-1,पर ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-जामला प.ह.न-52 तहसील कसरावद जिला खरगोन म. प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है,कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	जामला / 52	82/3	0.020
			82/1	0.041
			80/1	0.006
			80/2	0.032
			78/3	0.018
			79/5	0.022
			79/4	0.047
			77/1/3	0.051
			77/1/1	0.005
			75/7	0.027
			62	0.094
			52/2	0.048
			54/1	0.017
			33/3	0.031
			33/2	0.023
			32/2	0.026
			29/2	0.030
			29/3	0.037
			30	0.028
			27	0.006
			26	0.006
			25/1	0.028
			6/2	0.035
			6/4	0.017
			6/1	0.003
			13/2	0.059
			13/5	0.030
			12/2	0.010

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद एवं/कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अल्लोकन किया जा सकता है।

क्र.-2269-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0014-2022-23

प्रारूप "ख"

[नियम-5 का उपनियम (2)]

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आशयक प्रतीत होता है,कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी का जल उपलब्ध होने के फलस्वरूप योजना की पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-1,पर ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर मे जल परिवहन हेतु ग्राम-गुजारी प.ह.न-52 तहसील कसरावद जिला खरगोन म. प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है,कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	कसरावद	गुजारी/52	298/1	0.009
			298/2	0.064
			298/3	0.015
			302/2	0.024
			304	0.002
			307/2	0.014
			307/1	0.020
			306/2	0.009
			306/1	0.018
			323/1	0.029
			277/3	0.040
			276/2	0.019
			276/1	0.032
			275	0.009
			272	0.025
			271	0.002
			270	0.018
			268	0.006
			266	0.008
			252/4	0.037
			252/5	0.038
			297/5	0.016
			252/6	0.009
			252/7	0.012
			255/4	0.005
			257	0.005
			220/1	0.046
			220/2	0.044
			221/1	0.023
			221/2	0.025
			305	0.007
			277/1	0.014
			250/3	0.017
			297/5	0.017
			221/3	0.031
			208/1	0.029
			206/1	0.039
			110/385	0.010
			98	0.020

			106	0.057
			103	0.018
			104	0.016
			94/1	0.015
			92/2	0.023
			92/1	0.015
			29/5	0.027
			29/4	0.008
			19	0.026
			27	0.025
			21	0.021
			26/1	0.021
			107/1	0.002
			90/1	0.007
			272	0.022
			141	0.017
			142	0.016
			144/2	0.014
			144/1	0.013
			129/1	0.007
			145/2	0.012
			145/1	0.012
			148/4	0.028
			148/3	0.017
			111/2	0.023
योग-			64	1.269

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

अग्रिम कुमार, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) खरगोन,
जिला, खरगोन मध्यप्रदेश

क्र.-726-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0014-2022-23

खरगोन, दिनांक 14 फरवरी 2023

प्रारूप-“ख”
{ नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आशयक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील, खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 क्रमांक-5 सन् 2013 के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के) ग्राम.सालवन प.ह.न-29 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन.	खरगोन	सालवन/29	49	0.028
			50	0.018
योग-			2	0.046

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकित किया जा सकता है।

क्र.-728-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0015-2022-23

प्रारूप-“ख”
{ नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आश्यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (कमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम.सुरपाला प.ह.न- 27 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संमाग कमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है; किं उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव हैं,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	सुरपाला/27	461	0.022
			462	0.011
			460	0.005
			468/1	0.017
			457/2	0.025
			457/1/2/3	0.011
			457/1/2/2	0.011
			457/1/2/1	0.016
			457/1/1	0.048
			450/3	0.015
			412	0.017
			413	0.023
			411	0.011
			461	0.032
			417	0.007
			408	0.016
			369	0.030
			365	0.018
			364/1	0.016
			362	0.021
			358	0.007
			308	0.003
			307	0.013
			568	0.017
			570/1/1	0.017
			597/2	0.021
			649	0.010
			652/1	0.010
			648	0.022
			647	0.018
			639	0.015
			640	0.020
			780/2	0.026
			780/1	0.048
			778/2	0.039
			362	0.008
			363	0.016
			310	0.007
			131	0.009

			312/1	0.013
			313	0.014
			305/2	0.019
			303/1/2	0.009
			301/1	0.012
			299/1	0.008
			298/1	0.021
			296/2	0.008
			296/2	0.008
			294	0.009
			293/1/2/1	0.040
			283/2	0.008
			283/1	0.018
			122/2	0.042
			122/1	0.015
			79	0.066
			80	0.003
			82/2	0.022
			82/2	0.016
			68/2	0.200
			67/3	0.011
			67/1	0.015
			67/2	0.023
			66	0.010
			65/3	0.023
			65/2	0.019
			64	0.046
			30	0.034
			31	0.036
योग-			68	1.466

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-730-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0016-2022-23

प्रारूप-“ख”
{ नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आश्यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरवाव जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. बनिहार प.ह.न- 34 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, किं उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेंगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	बनिहार / 34	168	0.006
			327	0.004
			328	0.017
			329/2	0.020
			330	0.020
			332/1	0.028
			333	0.015
			334	0.018
			336	0.015
			339	0.015
			338	0.017
			310/8	0.020
			310/1/1	0.025
			310/10	0.007
			310/13/1	0.016
			310/13/2	0.003
			310/12	0.018
			308/1	0.016
			308/2	0.025
			304	0.047
योग-			20	0.352

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-732-वा1-री-रा.प्र.क्र.-0017-2022-23

प्रारूप-“ख”
{ नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आश्यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-‘क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. घोट्या प.ह.न- 29 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

३. अंतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	घोट्या/29	608/3	0.020
			609/2	0.002
			610/2	0.002
			612	0.026
			638	0.021
			579	0.004
			580	0.010
			518	0.012
			582	0.011
			583	0.003
			578/1	0.002
			584	0.012
			524/1	0.004
			523	0.005
		योग-	14	0.134

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-734-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0018-2022-23

प्रारूप-“ख”
{ नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आश्यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. दामखेडा प.ह.न- 33 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.में.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	दामखेडा/33	50/1	0.021
			52/1/1	0.006
			52/1/6	0.014
			64/4/2	0.005
योग-			5	0.046

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-736-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0019-2022-23

प्रारूप-“ख”
{ नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आश्यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-1 क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. दामड प.ह.न- 29 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मंध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	दामड़/29	53	0.070
			52	0.041
			26/1	0.003
			26/2/1	0.022
			27	0.059
			29/2	0.026
			29/1	0.028
			29/3	0.012
			27	0.004
			29/2	0.010
			29/3	0.009
			31/2	0.017
			31/1	0.016
			32	0.030
			61/1	0.023
			62	0.025
			61/3	0.012
			60/1	0.009
			60/10	0.041
			60/8	0.010
			60/9	0.010
			60/3	0.010
			60/11	0.010
			99	0.030
			101/1	0.030
			101/2	0.018
			102/2	0.028
			102/3	0.019
			103/3/30	0.015
			119/1	0.012
			119/2	0.019
			178/2	0.022
			177/1/1	0.023
			320/1/1	0.016
			320/1/2	0.034
			319	0.032
			324	0.017
			325/1	0.014
			325/2	0.004
योग-			39 ^	0.830

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-738-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0020-2022-23

प्रारूप-“ख” { नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आश्यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. नंदगॉव रोड प.इ.न-28 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	नंदगोव रोड/28	17/2	0.017
			17/1	0.029
			16/1	0.033
			133/1	0.020
			135/2	0.020
			71/1	0.018
			75/2	0.022
			83/4	0.004
			83/1	0.035
			83/3	0.023
			83/2	0.036
			82/1	0.045
			81/3	0.033
			286	0.003
			288	0.034
			287/1	0.022
			289/2	0.047
			247	0.014
			374/4	0.028
			375	0.003
			374/3	0.006
			376	0.030
			378/2	0.025
			376/2	0.009
			379/3	0.015
			381/2	0.021
			382	0.003
			390/2/2	0.008
योग-			28	0.603

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-742-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0022-2022-23

प्रारूप-“ख”
{ नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आश्यक प्रतीत होता है, कि पीपरी भाईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. नरसिंगपुर प.ह.न- 33 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	नरसिंगपुर/33	36/2	0.062
			34/1	0.042
			30/1	0.013
			30/2	0.012
			30/3	0.023
			30/4	0.010
			32/6	0.033
			31/2	0.029
			13/2	0.055
			13/1	0.006
			12/2/4	0.030
			14/1	0.020
			20/1/1	0.037
			20/1/2	0.035
			22/2	0.027
			86/3	0.027
			86/1	0.033
			85	0.040
			91/2	0.037
			91/3	0.008
			95/3/1	0.023
			95/4/1	0.029
			95/4/2	0.015
			20/1/2	0.011
			14/1	0.031
			13/2	0.047
			31/2	0.022
			32/6	0.008
योग--			28	0.765

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र.-740-वा.1-री-रा.प्र.क्र.-0021-2022-23

प्रारूप-“ख”
{ नियम-5 का उपनियम (2) }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आशयक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1,ग्राम-जामला-तहसील कसरावद जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील, खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. कल्याणपुरा प.ह.न- 32 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य में कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है,जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव: मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन,जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1	2	3	4	5
खरगोन	खरगोन	कल्याणपुरा/32	328	0.040
			329/2	0.036
			331/1/1	0.040
			331/1/2	0.004
			334	0.023
			333/1	0.039
योग-			6	0.182

नोट:- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

ओमनारायण सिंग, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)